• # The History of The Bikaner State Political Movement - 1942-1949

Part I

(Exhibit based on The Rajasthan State Archive's Records)

Part II

Pathos of a Freedom Fighter

(Exhibit based on The Central and
The Rajasthan State Governments' Letters)

पहला भाग

बीकानेर राज्य के राजनैतिक आन्दोलन का
सन १९४२-१९४९

(राजस्थान राज्य अभिलेखागार के रेकार्डों
पर आधारित)

दूसरा भाग

स्वतंत्रता सेनानीका 'आर्तनाद'
(केन्द्रीय तथा राजस्थान राज्य के पत्रावली पर आधारित)

HONORARIUM
Rs. 150;00

प्रमुख प्रोमोटर
डा० सुरेन्द्र डागा
७ए, मदनमोहनतला स्ट्रीट
कलकत्ता-५

प्रकाशक व
लेखक
जीवनलाल डागा, बी ए
स्वतत्रता सेनानी
पी पी ओ १८६३ (आर) पी
बीकानेर ३३४००५

पुस्तक की सूची (Index)

भाग प्रथम

भाग द्वितीय

:- कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बाते :-

इस पुस्तक के प्रकाशन मे निम्नलिखित आदरणीय महानुभावो ने हरतरह से सहयोग प्रदान किया -

(अ) (I) राजस्थान राज्य अभिलेखागार के तात्कालीन निर्देशक सर्वश्री जैन साहब व विश्नोई साहब इनकी अनुपम कृपा से अभिलेखागार के रेकार्ड प्राप्त हुए।

(II) सहायक निर्देशक व समस्त कर्मचारीगणा इन सबका मै बहुत अभारी हूँ।

(ब) 'जाग्रत जनमत' के सचालक व सपादक श्री अरविदजी आचार्य एडवोकेट, 'गुरू' लक्ष्मीनारायणजी तथा अजयकुमारजी एडवोकेट जिनकी अनुकम्पा से मै ''पैसा और पावर'' से सघर्ष कर सका।

(स) डा सुरेन्द्र डागा एम डी इनका प्रकाशन मे हर तरह का सहयोग रहा।

(डी) उस जमाने के समस्त पुलिस अफसर जिन्होने मुख्य मत्री श्री माथुर साहब द्वारा डी आई जी पुलिस श्री नमोनारायण मीणा बीकानेर रेज से कराये गए जाच के समय अपने बयान दर्ज कराए।

विशेष - इसमे मुरवबिरो की पत्रावली प्रकाशित की गई है। देशी राज्यो' के विलीनीकरण के बाद प्रजापरिषद का काग्रेस मे रूपान्तर होगया। यही मुरवबिर उसी समय काग्रेस के पदाधिकारी बन गए। एक बार हमलोगो को फिर उनसे जूझना पडा।

मैने कभी माफी नही' मागी प्रमाण स्वरूप १३-८-४२ की एक सी आइ डी पत्रावली का उदाहरण पेश है -

लेखक
जीवनलालडागा बी ए
स्वतनता सेनानी

Hon ble Maharaja Ganga Singh Ji Ex Ruler of Bikaner state (Rajputana) never allowed anybody putting the white cap on his head but the exception was the Hon ble Pt Madan Mohan Malviya The founder of The Hindu University (allowed with white cap on His head) in his territory

आदरणीय महाराजा गगासिंह जी के राज मे किसी भी गाधीटोपी धारी की हिम्मत नहीं थी कि उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सके। किन्तु प० महन मालवीय संस्थापक हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणासी अपवाद थे महाराजा मालवीय जी को विशेष आदर देते थे।

ghters Rajasthan is a wonderstruck matter The copy of the notification and the Freedom Fighters rules & gulations are given in this book for the readers pesual

सूरजप्रकाश (पापा) एक जोधपुर महाराजा द्वारा माफी प्राप्त व्यक्ति दरबार आर्डरस नोटिफिकेशन और सरकुलरस जोधपुर शनिवार १८ अगस्त १९४५ में स्वतलता सेनानी के नियमो के विरूद्ध किस प्रकार केन्द्रीय गवर्नमेंट तथा जास्थान गवर्नमेट मे पूरा पेंशन पाने में सकल्ता प्राप्त करता है बडे अचभे की बात है। पाटको के अध्ययनार्थ इस पुस्तक गजट की नकल तथा स्वतलता सेनानी की नियमावली प्रस्तुत है।

THE JODHPUR GOVERNMENT GAZETTE

Published by Authority

id. 80	JODHPUR, SATURDAY, AUGUST 18, 1945	No 70
	जोधपुर शनिश्चरवार अगस्त १८ १९४५	नम्बर ७०

CONTENTS

Part I
Darbar Orders, Notifications
AND
Circulars

ORDER
Dated Jodhpur, the 17th August, 1945

No 183/B His Highness the Maharaja Sahib Bahadur on the occasion of his last birthday was pleased to order the appointment of a Committee consisting of the Chief Minister and the Deputy Chief Minister to review the cases of those convited of complicity in bomb outrages which occured in Jodhpur in 1942 and 1943 and to submit a recommendation as to whether any exercise of mercy is considered called for in respect of these convictions and if so to what extent

The report of the Committee has been submitted to His Highness and has his careful consideration

His Highness has been pleased to exercise his prerogative of mercy and ordered the remissions of sentences which are detailed at the end of this ordere remissions will have immediate effect At the same time I am commanded His Highness to convey the following observations for the information of the public particularly for the instruction of those foolish an misguided young men who consequence of His Highness clemency are to be released from Jail

His highness in exercising clemency has been actuated chiefly by the consideration that the convicts to whom indulgence has been granted are young easily misled imperfectly educated above all they have professed themselves sincerely repentam the crimes they have committed

His Highness trusts that given this chance the released prisoners will lead over a new leaf and endeavour to become decent, law abiding citizens His Highness trusts that each one of the released prisoners has had time by now to reflect and realise the gravity of the offence which be committed By commission or abetmentall the prisoners committed offences not only against the law of the land but again of the religion and humanity further they committed or tried to commit acts calculated assist the enemies of India

However now that the enemies of India and of her allies have been date and period of peace and reconstruction has dawned His Highness trusts that to young men who have erred grievously will reconstructed their thoughts and ideas better ends

The remissions of sentences graciously granted by His Highness are detailed below

FIRST BOMB CASE

NAMF	Sentence awarded	Date of Judgment	Remissions grade
Deoraj	5 years R I and fine of Rs 100/	3 6 1963	Reminder of sentence remitted
Sohan mal	4 years R I	do	do
Hamal Singh	do	do	do

SECOND BOMB CASE

NAME	Sentence awarded	Date of Judgment	Remissions grade
Paras Mak Ram Chandra Suraj Prakash	8 years R I each and a fine of Rs 400/	20 3 1944	Reminder sentence remitted
Sita Ram	4 years R I and a fine of Rs 400/	do	do
Shyam Sunder Kistoor Chand	2½ years P I and a fine of Rs 400/	do	do

By Order,
D. M FIELD,
Chief Minister,
Government of Jodhpur

Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, 1980

FORMERLY KNOWN AS

Freedom Fighters' Pension Scheme, 1972

INDRODUCTION

During Twentyfifth anniversary (Silver Jubilee Year) of Independence a Central Scheme for the grant of persion to freedom fightersand their families from Centrak Revenues was introduced by the Goernment of India The Scheme commenced from 15th August 1972 and provided for the grant of pension to living freedom fighters and their families if they are no more alive and to the families of martyrs The minimum quantum of pension sanctioned to a freedom fighter be Rs 200 p m and in case of families varied from Rs 100 to Rs 200 in accordance with the size and number of eligible dependents in the family Till 31st July, 1980 the Freedom fighters persion was admissible only to those who were in need of financial assistance on account of their meagre annual gross income Thus an annual income ceiling of Rs 5000 was enforced for eligibility to persion From 1-8 1980 the benefit of the pension Scheme has been extended to all freedom fighters as a token of SAMMAN to them

ENHANCED RATE OF PENSION

Not only the income ceiling has been removed fron 1st August 1980 but quantum of monthly pension has also been raised The monthly pension has thus been increased from Rs 200 to Rs 300 in case of living freedom fighters and from Rs 100 to Rs 200 to the window of the late freedom fighter with additional Rs 50 p m each for unmarried daughter up to a maximum limit of Rs 300/- per month

WHO ARE ELIGIBLE DEPENDENTS?

For the purpose of grant of Samman pension family includes (if the freedom fighter is not alive) mother father widower/window if he/she has not since remarried unmarried daughters

Not more than one eligible dependent can be granted pension and in the event of a vailapility of more than one dependent the sequence of eligibility will be window/win dower unmarried daughters mother and father

WHO IS ELIGIBLE?

For the purpose of grant of Samman pension under the scheme a freedom fighter is -

a) A person who had suffered a minimum imprisonment of six months in the mainland jails before Indrpendence However ex INA personnel will be eligible for persion if the imprisonment/detention suffered by them was outside India

b) The minimum period of actual imprisonment for eligibility of pension has been reduced to three months in case of women and SC/ST freedom fighters from 1 8 1980

EXPLANATION

1 Detention under the orders of the competent authority will be considered as imprisonmentt

2 Period of normal remission upto one month will be treated as part of a ctual imprisonment

3 In the-case of a trial ending in conviction, under trial will be counted towards actual imprisonment suffered

4 Broken preiod of imprisonment will be totalled up for computing the qualifying period

b) A Person who remained underground for more than six months provided he was

1 a proclaimed offender, or

2 one on whom an award for arrest/head was announced or

3 one for whose detention order was issued but not served

c) A person interned in his home of externed from his district provided the period of internment/externment was six months of more

d) A person whose property was confiscated or attached and sold due to participa tion in the freedom struggle

e) A person who became permanently incapacitated during firing of lathi charge

f) A person who lost his job (central or state Government) and thus means of livelihood for participation in national movement

A MAERTYR is a person who died or who was killed in action or in detention or was awarded capital punishment while participation in a National Movement for eman cipation of India It will include an ex INA or ex-Military person who died fighting the British

WHAT ARE THE MOVEMENTS/MUTINIES CONNECTED WITH NATIONAL FREEDOM STRUGGLE

5 Apart from the mainstream of the liberation struggle the movements mutinies which were directed against the British (French in case of Pondicherry and Portuguese in case of Goa) with freefom of the country as its ultimate goal are also treated as part of National Freedom Struggle for the purpose of grant of pension unless any movement(s) is specifically decided as not qualifying for the grant of Samman pension

The Movements for merger of erstwhile Princelu States within the Indian Union after 15th August 1947 and the freedom struggle in the former French and Portuguese possession in India (Colonies) are considered as part of the National Freedom Movement for the purpose of grant of Samman Pension under Scheme

6 HOW TO APPLY?

Persons who consider themselves eligible for Samman Pension under the Scheme should apply in duplicate on the prescribed application form One form duly filled and supported by required documents as proof of claim of suffering should be sent to the Chief Secretary to the State Government/Union Territory Administration concerned The second copy should be sent to the Deputy Secretary to the Government of India, Freedom Fighters Division Ministry of Home Affairs first, Lok Nayak Bhavan new Delhi 110003 as an advance copy

7 AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS

Application forms can be obtained from either of two offices i e State Govt U/T/ concerned or Freedom Fighters Division Ministry of Home Affairs Ist floor, Lok Nayak Bhavan, New Delhi free of cost All State Govts/U T Administrations have been instructed to make available the prescribed application forms in sufficient number at all levels including Block/Tehsil level

8 LAST PRESCRIBED DATE FOR SUBMITTING APPLICATIONS

The last date for receipt of applications invited in 1972 was fixed as 31-3-1974 As a result of liberalisation of pensior scheme from 1 8-80 a period of one year i e 1-8-1980to31-7-1981 was given for filling applications for Samman pension Yhe persons who could/did not apply earlier due to any reason or who were not sanctioned pension even though they were eligible may submitt their applications immediately but before 31st July, 1981 This date was extended Tthe receipt of applications has since been stopped after 31-3-1982

9 HOW TO PROVE THE CLAIMS (EVIDENCE RWQUIRED)

The applicant should furnish the documents indicated below whichever is ap plicable

a) IMPRISONMENT/DETENTION ETC

Certificate from the concerned jail authorities District Magistrates of the State Government in case of non availability of such certificates co-prisoner certificates from a sitting M P or M L A or from an ex M P cran ex-M L A specifying the jail period (Annexure I in the application from)

b) REMAINED UNDERGROUD

(i) Documentary evidence by way of Court s/Government orders proclaiming the applicant as an offender announcing an award on his head or for his arrest or ordering his detention

(ii) Certificates from veteran freedom fighter; who had themseslves undergone imprisonment for five years or more if the official records are not forth coming due to their non availability

(c) INTERNMENT OR EXTERNMENT

(i) Order of internment or externment or any other corroboratory documentary evidence

(ii) Certificates from prominent freedom fighters who had themselves undergone imprisonment for five years or more if the official records are not available (Annexure II in the application)

Note

The Certifier veteran freedom fighters in respect of underground suffering intern ment/externment and the applicant should belong to the same administrative unit before the reorganisation of States and their area of operation must be the same

(d) LOSS OF PROPERTY JOB ETC

Orders of confiscation and sale of property Orders of dismissal or removal from service

10 ISSUE OF SANCTION ORDER

The receipt of advance copy of application form is acknowledged The claim of the applicant will be scrutinized in the State Government/Union Territory administration in consultation with State Advisory Committee on the basis of copy of application submitted to them After receipt of State Verfication and entitrement to pension report the claim of the applicant is scrutinized and if found eligible Pension is granted Sanctions are issued as applications are scurtinized and conveyed to the Accountant General of the areas with copies to the Chief Secreatary of the State Government/U T Administration and the Collector/D C of the District concerned Simultaneously a communication conveying sanction of pension as also the amount of pension is issued to each grantee Applicants whose applications are not approved are duly informed

11 HOW TO RECEIVED PENSION (MODE OF PAYMENT)

On receipt of sanction order the Accountant General concerned will issue P P O authorising the Treasury/Sub-Treasury Officer concerned to make payment of the Pension on production of indentification documents which will consist of -

1 Photograph

2 Two prominent identification marks

3 Specimen signature or left hand thumb and finger impressions duly atested by a comperent authority in the case of freedom fighters who are not literatre enough to sign their names

4 Date of birth

On furnishing these the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer will commence payment of pension

RULES PERMIT DRAWAL OF PERNSION

1 Either in person from the Treasury or the Sub-Treasury or

2 By money order

(a) at the cost of the Government if the amount of monthly pension does not exceed Rs 250

(b) on payment of money order commission if the amount of pension exceeds Rs 250/-

3 Through a banker if the grantee has opens an account with a bank In such case the pensioner shall have to prepare a bill every month present it to his baker who will collect his pension from the Treasury or the Sub Treasury on his behalf and credit it to his account

4 With effect from 1 8 1980 facilities for drawal of pension through Public Sector Banks has been extended to freedom fighters pensioners

12 DURATION

Except in the case of unmarried daughters the pension is for the lifetime of the recipient In th case of unmarried daughters pension ceases immediately after they are married or become otherwise independent In the case of death of a pensioner his/her heirs though otherwise eligible for pension will not automatically succeed to such a pension They shall have to apply afresh with proof of the pensioner and thier applications will be considered in terms of the Pension Scheme

---

Freedom Fighters Division Ministry of Home Affairs
Govt of India Lok Nayak Bhawan New Delhi -110003
Telephone No 611430 617970 618105
MGPRRND 6HA/82-VI-18-9 82 5000

ANNEXURE I

C0 PRISONER CERTIFICATE

(Ton be signed by a Sitting M P./M L.A or and ex MP/ex MLA)

I, (the undersigned) ____________________ son*/daughter*/wife* of Shri ____________________ am* a sitting member of an ex member of the Lok Sabha*/Rajya Sabha* ____________________ Legislative assembly*/Council of the State of ____________________ from the Constituency of ____________________ in the State*/Union Territory* of ____________________

I suffered imprisonment during the freeedom struggle and was lodged in ____________________ Jail in ____________________ District during the period from ____________ to ____________.

I hereby certify that Shir*/Smt*/Kumari* ____________________ son*/ daughter*/Wife* of Shri ____________________ ____________ resident of ____________________ district, is a bonafied freedom fighter who was also imprisoned on account of his*/her* participation in the ____________________ Movement during the freedom struggle and was lodged in the same jailalong with me during the period from ______ to ____________________ To the best of my knwledge and belief he*/She* was not prematurely released from jail on account of any oral or written apology tendered by him*/her*

Dated at (Place) ____________________ Signature ____________________

the ____________ day of ____________ Name (in block letters) of the certifier ____________

____

*Strike out whichever is not applicable

MGIPRRND II 25 HA/80 26 12 80 25 000

प्राक्कथन के पूर्व

प्राक्कथन के पूर्व मैं मेरे परम हितैषी व सहायक दो व्यक्तियो के विषय मे परिचय दना उचित समझता हूँ 1 ओम प्रकाश शर्मा मालिक फर्म दुर्गा कोल क झरिया 2 महा पुरुष श्री गोपाल जी आजार्य एडवोकेट हाईकोर्ट राजस्थान बीकानेर।

ओम प्रकाश शमा ग्यारह भाई है। झरिया उस समय जिला मा। भूमि का काल मर्जेंट का व्यापार करते थ। झरिया स्टेशन क पास क्रोयरी बाध नामक स्थान मे वे किराये के मकान मे रहत थे। मकान मालिक से झगडा होन के कारण करीब 50 वर्ष से रहे स्थान को मुकदमे मे हारने से छोडकर 1965 मे रेलीगढा जिला रामगढ हजारी बाग विहार मे अपनी जमीन मे चले गए। उनका सबसे छोटा भाई भक्तराम अभी भी झरिया में कोल बोर्ड मे ऑडिटर का काम करता है।

1932 मे मै झरिया गया। 1933 म डी.ए.वी स्कूल म भर्ती हुआ। वहीं स इस परिवार का मरे से परिचय हुआ। मेरे पिता जी गोलकडी कोलयारी मे आनर्सरिप्रेजेन्टेटिव दुगा कोल क स कारबार था। इनके भाईयो से स्कूली सबधी हुआ । मेरे पिता जी व इनके पिता जी घनिष्ट मित्र थे।

मै पिता जी के साथ अकेला रहता था तथा मेरी उम्र उस वक्त 9 वर्ष थी। पिता जी स झगडा होन पर मै भागकर इनके यहाँ चला चाता था तथा इनकी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। इनके यहा गाय तथा भैंसे थी। मुझ खूब खीर व दूध पिलाया जाता था। बच्च की तरह जैसा वात्सल्य प्यार चाहिए मिलता था। लोग ग्यारह भाईयो के साथ बारहवा मेरे को जोड देत थे। इस प्रकार बारह भाई कहलाते थे। गौड ब्राह्मण परिवार से पजाब के रहने वाल सरदार (सिख) धर्म को मानते थे। मैं हर मुसीबत के समय इनके यहा जला जाता था। मरे पिता जी को मालूम था कि मैं कहा हूँ। इस प्रकार कक्षा नवीं मे जब मैं झरिया एकडेमी गया इनके भाई आत्माराम वगैरह मेरे साथ थे। 1941 के अन्त मे मुझे झरिया छोडना पडा। में बीकानेर चला आया परन्तु हर साल अथवा दो साल पर मैं इनसे मिलने झरिया जरूर जाताथा। मेरे परिवार से मैं पिता जी की मृत्यु के पश्चात् बडा सभस्त था। कठिन समय में इनके घर चला जाता व महीनो तक मैं 1961 से 1962 मध्य तक रहा। कलक्त्ते म बीमार पड जाने से मै इनके पास झरिया जला जाता था और ये मेरी सेवा करते थे। ओम प्रकाश शर्मा को हम लोग 'बडा बीर कहते थे। 'वीर भाई का कहते है। मुसीबत के समय इस परिवार ने मेरी बडी सेवा की और आज भी इस परिवार से मिलने मैं साल मे एक बार जाता हूँ। 'बडा बीर अब रेलीगढा मे रहते है। 82 साल के है। मैं इस परिवार का बडा अभारी हूँ। मेरे को इस परिवार से शारीरिक मानसिक व आर्थिक निस्वार्थ सहायता मिली इसलिए इस परिवार की परमात्मा से शुभ कामना की प्रार्थना करता हू।

"श्री गोपाल जी आचार्य"

आचार्य साहब प्रसिद्ध राजस्थान के एडवोकेट थे। इनके जवाई श्री दारका प्रसादप्रोहित वेटेरनरी डाक्टर से मेरा बहुत स्नेह था। इनक परिवार म मैंने टयूशन की है। 'अजय इनका नाती एडवोकेट है तथा मेरे से पढा हुआ है। एडवोकेट साहब का नाना जी हाने के कारण आचार्य जी के परिवार से घनिष्ट सबध था।

आचार्य जी अच्छे लेखक थे। इन्हाने मजू छाया पुरूष विपथगामिनी निर्वसना आम्रपाली न्यायतीर्थ न्याय मूर्ति गुडिया मलदीक्षा और शपथ कहानी सग्रह लिखे। स्त्री उत्थान के विषय मे इनकी बडी रूचि थी। इनको प्राय ऑल इन्डिया रेडियो से साहित्यिक विपय मे व्याख्यान का निमत्रण आता था।

विद्वता के साथ-साथ बडे सरल हृदय व्यक्ति तथा प्रसिद्धा एडवोकेट थे। समाज मे ऐसे व्यक्ति दुलर्भ होते हैं।

मेरे कठिन समय म 'पैसा और पावर' का सामना करने में नि शुल्क सेवा आचार्य साहब और इनके सारे परिवार के लोगो ने की उसका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। इन्हीं के कारण मुझे विजयश्री मिली। आप 84 वर्ष की अवस्था मे 9 9 83 को परलोकवासी हो गए। मैं श्रद्धा से नतमस्तक हो उस परलोकवासी को पुष्पाजलि अर्पित करता हूँ।

श्री गोपाल लाल जी डागा

मेरे परिवार मे मेरे परम हितैपी श्री गोपाल लाल डागा फर्म हरसुखदास बालकिशन दास के बडे मालिक थे। मेरे पिता जी के कठिन समय मे इन्होंने उनको सम्मान देकर इनके पिता जी ने सगे भाई की तरह गोलकडी कोलयारी झरिया में रखा। 1931 से लेकर नवबर 1944 तक मेरे पिता जी इसी फर्म मे रहे।

1967 के अन्त मे मैंने कलकत्त रहना शुरू किया। ये मेरे पिता के बडे चचेरे भाई के लडके थे। इन्होंने मुझे मेरे परिवार के लोग मेरे विरूद्ध होते हुए भी 10 मार्च 1987 इनके स्वर्गवास होने तक बडे सम्मान से रखा। ये मेरे 'गॉड फादर' थे। इनके स्नेह को मैं भूला नहीं सकता। इन्हीं के कहने से मैं 7 मार्च 1987 को समाज में हिस्सा लिया तथा प्रसिद्ध मदिर नरसिह जी व समाज का ट्रस्ट बनाने का बीडा उठाया।

मैं इन स्वर्गवासी को नत मस्तक हो श्रद्धा के दो सुमन चढाता हूँ।

प्राक्कथन

इस पुस्तक को निकालने की क्या आवश्यकता पडी जबकि इसके पहले कुछ पुस्तके निकल चुकी हैं। इसमे अतिरंजित कुछ भी नहीं है। अभी आकाशवाणी में जितने भी इन्टरव्यू आए हैं वह प्राय स्वतत्रता सेनानियों के नहीं हैं अगर एक दो हैं वह भी उन्होंने कुछ अतिरंजित बातें कही हैं। देशी राज्यों का प्रशासन अंग्रेजों की सँधि के आधीन था। इनके प्रशासन को देरवने के लिए अजमेर में रेजिडेंट ब्रिटिश शासन का होता था। वह इनकी निगरानी ररवता था। इसका उदाहरण दिया जा चुका है। एक परववाड़े मे फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाती थी उसमे शासन की सक्षिप्त विगत रहती थी। ब्रिटिश राज्य के अलावा जो दूसरे राज्यो के विजिटरस् आते थे उन पर पूरी निगरानी रहती थी। फ्रास, र्जमनी इटली, अमेरीका तथा मुस्लिम राज्य ये ब्रिटिश राज्य के अलावा थे। उनके नागरिकों की पूरी छानबीन की जाती थी। गतिविधि में फरक आने से उनकी इत्तला दी जाती थी तथा उनको राज्य के बाहर निकाल दिया जाता था।

ब्रिटिश शासन के प्रशासन के अनुसार ही यहा का प्रशासन चलता था। उस प्रशासन मे हेर-फेर नहीं होना चाहिए इसकी निगरानी अजमेर मे बैठा ब्रिटिश अफसर करता था।

आज भी यही सधि की प्रथा है। सधि की पालना पूरी तरह से हो ये जो राजदूत होते हैं देखते हैं। यू एन ओ सुरक्षा परिषद इत्यादि यह देखते हैं जो सधियाँ व नियम है उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसे दण्डित किया जाता है जैसे ईराक अभी दडित हुआ। शैतान का डडा हर वक्त सर पर रहता है।

ब्रिटिश राज्य के अनुसार यहा भी एक कौसिल थी। उसमे सेठ जमीदार, अन्य शिक्षित गैणमान्य लोग व जातीय प्रतिनिधि होते थे। *कौंउसिल की मीटिग भी होती थी। जन समस्याओ को सलाह के अनुसार निमटाया जाता था शासन मे वर्ण व्यवस्था का विशेष* महत्व था।

राज्य घाटे की थी इसलिए घाटे की पूर्ति करने के लिए सेठों का सहारा लेना पड़ता था। बड़े सेठो का ब्रिटिश भी आदर करते थे। यहाँ के जो प्रमुख सेठ थे उनकी ब्रिटिश सरकार मे धाक थी। डागा परिवार के लोगो का ब्रिटिश शासन में अच्छा सम्मान था राजा लोग भी इन सेठो से कर्ज लिया करते थे। एक उदाहरण जोधपुर महाराजा का डाग परिवार से ऋण लिया हुआ है दियागया है। सेठ लोगो की इज्जत पर अगर हमला होता था तो वे राज्य छोडकर चले जाने की धमकी देते थे इससे राजाओं को उनका पूरा सम्मान करना पडता था। सेठ राजा की बिना चारे की दुधरू गाय थे।

तात्कालिक आधुनिक शिक्षित समुदाय को राज्य मे बुलाया जाता था।उनको अच्छी-अच्छी नौकरिया दी जाती थी। राज्य आज्ञा का अतिक्रमण करने पर निकाल दिया जाता था। वे दो नम्बर के नागरिक थे। दो नम्बर के नागरिक को रहने का अधिकार था। व्यवसाय, नौकरी और प्रोफेशनल कार्य करने का अधिकार था परन्तु राजनैतिक गतिविधि करने पर उनको निकाल दिया जाता था। राज्य की प्रजा की तरह उसका विशेष अधिकार नहीं था।

1936 मे प्रजा मंडल तथा 1942 जुलाई में प्रजा परिषद इन दोनो की स्थापना उत्तर प्रदेश से आए बाहरी लोगों ने की। प्रजा मडल की स्थापना बाबू मुकूपप्रसाद जी वकील द्वारा मघाराम जी वैघ के सभापतित्व मे तथा प्रजापरिषद की स्थापना बाबू रघुवर दयाल जी गोयल ने की। ये दोनो ब्रिटिश शासन से आये आगन्तुक थे। दोनो वकील थे। उनको स्थानीय शासन मे पूरा अधिकार नहीं था। यहाँ के नागरिक न होने के कारण इनको सीमा से बाहर निकाल दिया जाता था तथा सपत्ति कुर्क कर ली जाती थी।

शासन में असतोष होना अनिवार्य है। स्वार्थ टकराने से असतोष होता है। शासक के स्वार्थ अगर टकराते हैं तो शासक उसको विद्रोही की सीमा में लाता है तथा दबाने की चेष्टा करता है। आज जनतत्र में भी शासक अपने शासन को छोड़ना नहीं चाहता। शासन रखने के लिए येन-केन प्रकारेण अपनी व्यवस्था करता है। पाच साल के अल्पावधि शासन को चिरस्थायी देने की चेष्टा करता है।

राजाओ का शासन पुश्तैनी शासन थ। उस पुश्तैनी व्यवस्था का जो कोई भी विरोध करता सजा भुगतनी पडती थी। आज भी वही व्यवस्था चालू है।

उदरासर के कुछ जाटों के असतोष को बढावा देने के कारण महाराजा श्री गगासिह जी ने बाबू मूकाप्रसाद जी, लक्ष्मण दास स्वामी

इत्यादि को देश निकाला दे दिया। मघाराम जी व लक्ष्मण दास जी यहा के नागरिक थे। उन दानो को प्रजा का अधिकार था। वे दोनो राज्य मे किसी भी शर्त पर राजा की आज्ञा से प्रवेश पा सके परन्तु मुक्ता प्रसाद जी का फिर आगमन नहीं हुआ।

प्रजा परिषद मे बाहरी लोग रघुवर दयाल जी शीतल प्रसाद जी व प देवी दत्त पत थे। उनको निकाल दिया गया। शीतल प्रसाद जी व देवीदत्त पत राजा का राज्य रहते नहीं आए परन्तु रघुवर दयाल जी येन-केन प्रकारेण प्रवेश पाने के लिए लडते रहे। उनका साथ स्थानीय बहुत थोडे नागरिको ने दिया। प्रमुख रूप से मघाराम जी वैध का है जिसका वर्णन किया जा चुका है।

प्रजा मडल व प्रजा परिषद का उद्देश्य "महाराजा की छत्र छाया मे उत्तर दायी शासन प्राप्त करना" था। मुझे 10 अगस्त 1942 को सबके साथ लालगद कौंसिल के सामने बुलाया गया तो प्राईममिनिष्टर मानधाता सिह जी जिसके पीछे केबिन मे गगासिह जी बैठे हुऐ थे प्रमुख प्रश्न था। "ह्वाटडूयू मीनबाई रेसपोन्सिबिल गवनमिट" अर्थात उत्तर दायी शासयन का क्या अर्थ होता है?

मैने उत्तर दिया मैं महाराजा के शासन के विषय मे कुछ नहीं कहता मैं तो "क्विट इण्डिया" अग्रेजो भारत छोडो का हामी हूँ।

मैं उस समय केवल 18 वर्ष पार चुका था। टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। अग्रेजी शासन के खिलाफ टकराव का रास्ता भी था क्योकि अग्रेजो की सधि से बधे हुए थे। प्रलोभन भी दिया गया "तहसीलदारी या थानेदारी" का परन्तु उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तात्कालीन एस पी साहब गोवरर्धन लाल जी को बुलाकर पीछे लगा दिया गया।

राजा अपने तौर तरीको को जो कि ब्रिटिश शासन से अनुमोदित थे उत्तरदायी समझता था परन्तु दूसरी तरफ परिषद के प्रमुख अपने तौर तरीकों उत्तरदायी समझते थे। उतरदायी शब्द का झगडा था।

देशी राज्यो की प्रजा राजा के तौर तरीको से खुशी थे इसलिए इन नेताओ को राजद्रोही समझती थी तथा बात तक नहीं करना चाहती थी। मेरे को देखते ही पूरे मौहल्ले वाले तथा परिवार वाले आख चुरा लेते थे। इसलिए इनके किसी भी आन्दोलन मे प्रजाका साथ नहीं था। प्रजा की समस्याए राजा सुनता था इसलिए प्रजा खुश थी। छोटे-मोटे असतोष को बढ़ावा देकर आन्दोलन करने की चेष्टा की गई जो कि नाकामयाब रही। नागौर सम्मेलन मे जय नारायण व्यास जी का भी यही कथन था। 'प्रजा मे जाकर काम करो' उदाहरण दिया गया है।

अग्रेजी राज मे जनता का नेताओ का साथ था तथा हडताल आदि करके विरोध प्रदर्शित किया जाता था परन्तु देशी राज्यों में नेता को दोहरी मार खानी पडती थी। 1 राजा का विरोध 2 जनता का विरोध।

जिस प्रकार स्कूल प्रशासन मे वाजिब दण्ड देने की व्यवस्था है जिससे अनुशासन रह सके उसी प्रकार राज्य चलाने मे अनुशासन रखने में दण्ड व्यवस्था है। राजा के दण्ड व्यवस्था मे प्रताडना थी गोली मारना उद्देश्य नहीं था। इसी दण्ड व्यवसथा को आतक व अत्याचार कहते थे।

बीकानेर रियासत मे गोयल जी ने प्रजा परिषद कायम किया। पच्चास के भीतर मेम्बर बने। सेठ साहूकारो में से केवल मैं व गोपाल जी दम्माणी व सोहन लाल कोचर तथा बहुत से साधारण वर्ग में से थे व दो तीन अनैतिक व्यापार वाले भी थे। तीन चार राज्य के बाहर ब्रिटिश इण्डिया के थे। सरकार ने बडी चतुराई से इसको दबाया। गोयल जी देवीदत्त पत शीतल प्रसाद को देश निकाला दे दिया तथा कुछ एक से माफी मगवाली व मैं सोहन लाल कोचर व दम्माणी अडर ग्राउंड हो गए। हालात देखकर अन्डर ग्राउँड ही उचितथा। मैंने माफी नहीं मागी इसलिए 13 अगस्त 1942 को पुलिस टिप्पणी मे लिख हुआ है 'माफी न मागने के कारण से । सोहन लाल कोचर व गोपाल दम्माणी को अन्डर ग्राउंड बताया गया है। राजा ने बडी चतुराई से प्रजा परिषद को दबा दिया। जनता का कोइे साथ नहीं था। राजद्रोह में साथ देने को तैयार नहीं थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे।

मघाराम जी ने 26 जनवरी 1943 को स्वतत्रता दिवस मनाया गिरफ्तारी सिर्फ पाच आदमियो की दी। मघाराम जी रामनारायण भिक्षलाल जी जीवन लाल डागा पन्नालाल राठी गगासिह जी मृत्यु तथा सार्दुल सिह जी का गद्दी पर बैठना तथा इन लोगो को सशर्त तथा हम कम उम्र के लोगो को बिना शर्त छोड़े दिया गया। रघुवर दयाल जी को महाराजा सार्दुल सिह जी ने क्या कहा तथा क्या शर्त थी पता नहीं। यह जरूर है कि प्रजा परिषद को जुलाई 1942 के अन्त मे गैर कानूनी घोषित कर दिया था वह कानूनी घोषित नहीं हुई न हीं उसको मेबर बनाने की छूट दी गई। उसकी गतिविधियों पर पूर्वानुसार पाबदी रही।

रेजगी काड का वर्णन किया जा चुका है। उसमें मघाराम जी व श्री गोपाल दम्माणी को काडका पता लगाने के लिए पूरी यातना दी। इसका आन्दोलन से कोई मतलब नहीं।

नागौर सम्मेलन मे जयनारायण व्यास जी ने मघाराम जी का रघुवर दयाल जी को पूरी मदद देने का जोर दिया तथा उचित होने पर वे प्रोपोगडा सभालेगें।

दूधवा खारा आन्दोलन बुढानिया परिवार व जगमालसिह का आपसी झगडा था उसको वैद्यजी ने राष्ट्रीय रूप दिया व पूरी यातना सही। चौधरी हनुमानसिह जी परिषद जो कि गैर कानूनी थी का साथ देने के कारण इस काड़ को गैर कानूनी करार दिया। बाद म हनुमानसिह जी से महाराजा की क्या बात हुई पता नहीं। हनुमान सिह जी छोड़ दिए तथा मघाराम जी लटकते रहे। आन्दोलन के विषय मे पूरा विवरण दिया गया है।

कागड़ काड गोपसिह जी व कुछ जाटो का मनोमिटाव था। परिषद के कार्यकर्ता जाच के लिए गए और डरके मारे गाव मे घुस नहीं सके। लौट रहे थे कि गोपसिह जी के आदमियों उनको धर दबोचा वापिस किले मे ले गए। कुछ एक को यातना देने के पश्चात छोड दिया। जाच अधूरी रही। सब वापस लौट आए। इन्होंने भी अपना नाम शहीदो में लिखवा दिया।

वैद्य जी ने जाटों का पूरा साथ दिया। मारखायी और जाटों ने अपना मसीहा कुँभाराम को बना लिया। लूनकरनसरके प्रथम चुनाव मे जाटों ने मघाराम जी को सबक सिखाया।

नरसिह जी मदिर व डागा पचायत प्रकरण से स्वतत्रता सेनानी बनने का सघर्ष शुरू होता है तथा एक तात्कालीन मंत्री मडल की कुर्सी के इशारे से जोधपुर सभाग के माफी मागे हुए मुखबिर "सूर्य प्रकाश पापा उप समिति सदस्य द्वारा मनमानी टिप्पणी लिखने तथा केन्द्रीय पेन्शन प्राप्ति मे किस तरह का लोकनायक भवन प्रथम तल केन्द्रिय पेन्शन सभाग द्वारा हेरासमेन्ट और इस भारत सरकार द्वारा खोली हुई "नाटयशाला से दी गई रोमाचित यातना वर्णन लिखा गया है। वृद्ध स्वतत्रता सेनानी "कुत्ते को रोटी के टुकडे को दर्शाकर लालचाने ' की पोल खोलता है।

देशी नरेशों के राज्य में स्वतत्रता के कई सेनानियों को आपने पैसों से नुकसान उठाकर महात्मा गाधी व पडित जी की जय बोलनी पडती थी। १९४७ तक किसी भी कार्यकर्ता को पता नहीं था कि राजाओं का राज्य चला जायगा। वे तो केवल धूल में ही लठ्ठ मार रहे थे। "बिल्ली के भागों छींका टूट गया और १९५० मे स्थानीय सघर्षरत से सस्थाओं को अत कर काग्रेस का उद्‌भव हुआ और उसमें उन्हीं मनुष्यो का प्रशासन हुआ जो कि राजाओ के सहायक तथा आन्दोलनाकरियों के त्रासदाता थे दर्शाता है।

राजाओ क राज्य मे ही हुई यातना सम्मान पूर्ण थी किन्तु इस सरकार के राज्य मे राज्य सम्मान का रूप दर्शाकर किस तरह 'टुकडों के लिए असम्मान पूर्ण यातना दी जाती हैं उल्लेख मिलेगा।

- महाराजा गगासिह जी -

प्रजा मण्डलकी स्थापना पण्डित मघाराम जी द्वारा तथा प्रजा परिषद् की स्थापना श्री गोयल जी द्वारा हुई थी । दोनों की स्थापना के समय आदरणीय महाराजा श्री गगासिह जी का राज्य था ।

महाराजा गगासिह जी बडे प्रतापी राजा थे । प्रजा उनका बहुत सन्मान करती थी । प्रजा से भी उनका अत्याधिक प्रेम था । बीकानेर की प्रजा राजा को ईश्वर का अवतार मानती थी ।

राजा की सवारी जब निकलती तो प्रजा द्वारा घणी खमा जो कि प्रचलित था जोरों से बोल कर सन्मान करती । चोरी क्राईम बेईमानी वगेरह बहुत कम थी। दण्ड प्रथा बहुत कडी थी। कहावत थी " कानून अग्रेजी जूता रोठौडी। हिन्दू मुसलमान में भ्रातृत्व भाव था। वाटो की राजनीति नहीं थी। राज्य सचालन मे वर्ण व्यवस्था का बडा महत्व था। राजा की अफसरों पर कडी निगाह रहती थी। अन्यायी अफसर की कान मे भनक पड़ने पर कडा दण्ड दिया जाता था। हाकिम डर के मारे घर के बाहर पक्की दीवार नहीं बनवाते थे। राजा के गश्त के समय अगर उसे पक्का मकान दीखता तो उस पर जाच बैठा दी जाती व उसे अपदस्थ कर दिया जाता । प्रजा की असतोष की भनक पड़ते ही उसे निवारण का तरीका सोचा जाता था।

महाराजा सधि के तहत अग्रेजों का भक्त था। सधि को पूरी तरह पालन किया जाता था। अजमेर मे अग्रेजो का प्रतिनिधि रहता उसे पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाती थी। राजा अपने राज्य मे प्राय स्वतत्र था परन्तु अग्रेजों की निगरानी रहती थी। महाराजा श्री गगासिह जी चैम्बर ऑफ पिन्सेज के सभापति थे और दूसरे देशी राज्यों मे उनकी धाक थी।

शासन प्राय वर्ण व्यवस्था के अनुसार था। जागिरदारो के ठाकुर राजा के अधीन थे। उनकी सजा भी अनोखी थी। राज्य के कानून के खिलाफ चलने पर उन्हे किले में एकान्त मे बन्द कर दिया जाता था जिसको कि भुर्ज कहत थे।

बनिये व्यापारी महाराजा के बिना चारें के दुधारू गाये थे। वे बाहर व्यापार करते थे तथा हैड ऑफिस बीकानेर में रखते थे। राज्य मे उनका पूरा सन्मान था। वे राजा को समय-समय पर पूरी आर्थिक सहायता दिया करते थे क्योकि बीकानेर स्टेट घाटे की थी। राजा से तनाव होने पर वे राज्य छोड़कर चले जाते थे। राजा को इसका डर रहता था। डागा परिवार का अग्रजो के यहा बहुत सन्मान था। रायपुर, नागपुर पुना कलकता बम्बइ मद्रास इत्यादि सब जगह ब्रिटिस साम्राज्य मे इनके व्यापार का पूरा फैलाव था। अग्रेज इनका सन्मान करते थे इसलिए महाराजा को डरना पडा था। " जोधपुर महाराजा को डागा परिवार के एक फार्म का रूपये देने का उदाहरण पेश है। [illegible]-

जाट,माली ब्राह्मण,मुसलमान इत्यादि किसान थे। इनको जमींदारों के आधीन रहना पड़ता था। इन पर दो तरह का शासन लागू था। पट्टेदारो तथा राजा का। ठाकुरों के जुल्म करने पर उनको जागीरदारी से हाथ धोना पडता था। गगानगर में गगानहर लाने के कारण वहाँ के किसान प्राय सरदार थे वे महाराजा को बहुत मानते थे।

ब्रिटिश भारत के लोग यहा आते थे। उनको कारोबार व नौकरी करने की छूट थी । परन्तु राज्य विरोधी काम करने से उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था तथा सपत्ति कुर्क कर दी जाती थी। उदाहरणार्थ बाबू मुक्ताप्रसाद जी व रघुवरदयाल जी उत्तर प्रदेश के थे। राज्य के खिलाफअसतोष की देन इनहीं की थी। प्रजा इनको पूरे सन्मान से नहीं देखती थी तथा राजद्रोही समझाती थी। सक्षिप्त में इनका परिचय दिया जाता है।

मुक्ताप्रसाद जी बडे त्यागी व सेवाभावी वकील थे। वे स्वय सेवी सस्था के जरिए मेले तथा अन्य मौको पर स्वय सेवको की सहायता से सेवा करते थे। गरीब आदमियो को वे मुफत मे कानूनी सहायता करते थे। उनकी सेवा के कारण स्थानीय लोगों मे बडा आदर भाव था। बडे सद्भाव व सन्मानित व्यक्ति थे।

१९३६ में उन्होने प्रजा मण्डल कायम किया । उददेश्य महाराजा की सद्भावना से प्रजा की सेवा करना था। उत्तरदामी शासन का विचार था । मघाराम के सभापति त्व में यह सस्था कायम हुई । उदरासर गाव के किसानों की बाबत इन सबको देश निकाला हो चुका था । इसका वर्णन इस पुस्तक मे किया हुआ है ।

महाराजा गगासिह जी इस घाटे की स्टेट में सेठो व ब्रिटिश की सहायता से अनेक विकास के कार्य किए।

रेल्वे लाना विद्युत घर की स्थापना कचहरी बनवाना गग नहर लाना अनुपम रेल्वे वर्कशॉप की स्थापना, पब्लिक पार्क बनवाना इत्यादि अनेको विकास के कार्य किए जिसकी की आज तक प्रशसा की जा रही है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विकास मे इनका प्रमुख हाथ था। मालवीयजी के कट्टर भक्त थे। किले में सिर्फ मालवीय ही ही गाधी टोपी पहने के जा सकते थे। अन्य महानुभावों को राजकीय रस्मानुसार पोशाक पहनकर जाना पडता था। राज्य के प्रमुख आय का साधन रेलवे तथा बाहर से आने वाली वस्तुओं पर एक रुपया पर एक आना जकात चुगी था।

प्रजा की राज भक्ति का उदाहरण पुस्तक के बीच-बीज में अन्य भारतीय नेताओं की टिप्पणी के साथ उदधृत किया हुआ है ।

इनका देहान्त द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य मे करीब ३१ चनवरी १९४३ को हुआ

वैद्य मघाराम जी

देशी रियासता का राजनैतिक जीवन दो भागो मे बटा हुआ था। जयपुर के हीरालाल जी शास्त्री तथा जोधपुर के जयनारायण जी व्यास। श्री रघुवरदयाल जी गोयल का सबध हीरालाल शास्त्री के गुट से था। परन्तु मघाराम जी का सबध पंडित जयनारायण व्यास से था। पडित मघाराम जी का राजनैतिक जीवन बीकानेर में २६ जून १९२८ पुलिस की नौकरी छोडने के पश्चात् हुआ।

डूगरगढ के पडित मघाराम जी श्री चुन्नीलाल जी के पुत्र थे। इनकी गोदारे जाटो की यजमानी थी। इनका जन्म सवत् १९४० मे हुआ। १२ वर्ष की अवस्थ मे विद्या अध्ययन के लिए स्कूल मे दाखिल करवा दिया गया । खेमको की पठशाला रतनगढ से सस्कृति अध्ययन के लिए भर्ती हुए। उसके एक वर्ष बाद यजुर्वेद का ज्ञान करने के लिए हरिद्वार कनखल बस्तीरामजी की पाठशाला में चले गये। वहा यमुनादत्त जी शास्त्री के पास सरस्वती फाटक पर आयुर्वेद का अध्ययन किया। उन्होने फिर मुरलीगज जिला भागलपुर में बनिये के यहा नौकरी करली। एक वर्ष पश्चात् फिर वे काशी मे आयुर्वेद पढने चले गये। पूजा पाठ द्वारा जीविका उपार्जन करने लगे।

सन् १९२१ में गाधीजी काशी पहुचे। उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए तथा राजनैतिक जीवन प्रारभ किया।

डूगरगढ में सतराम ब्राहगण पुलिस का थानेदार था। उनकी सगत मे आकर इन्होने पुलिस मे नौकरी करली। थोने में क्लर्क का काम करने लगे। उनकी बदली हो गई। मकवूल हुसैन उनके स्थान मे थानेदार नियुक्त हुआ। वह बहुत अत्याचारी था। उनसे उनकी पटी नहीं। उनहोने बीकानेर जाकर इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस से उसकी शिकायत की। जाच मे मकबूल हुसैन को दोषी पाया गया तथा नौकरी से निकाल दिया गया। मघाराम जी पुलिस की आखो मे खटकने लगे। सुपरिटेन्डेन्ट मीर आशिक हुसैन ने मघाराम जी को वापेउ थाने मे बदल दिया। नाना र्‌कमसे पुलिस द्वारा मघारामजी पर झूठे इल्जाम लगाए गए परन्तु वे बेदाग साबित हुए और तग आकर उन्होने २६ जून १९२८ को आखो की कमजोरी का सार्टिफिकेट लकर नौकरी से अलग हो गए। यहीं से उनका राजनैतिक जीवन प्रारभ होता है। १९१९ मे उन्होंने बीकानेर मे वैदयराज की परीक्षा पास की। बीकानेर में रहकर वे चिकित्सा करने लगें। वैद्यजी की वैद्यगिरि चली नहीं। उनको फरासखाने मे सुपरिन्टेण्डेण्ट बनाराम स्वामी के नीचे गुमास्ता वना दिया । रिश्वत का विरोध करने पर उनको वहॉ से भी स्तीफा देना पडा। सरकारी नौकरी छोडने के पश्चात् वे वैद्यगिरि करने लगे। जनसेवा में उनकी पूरी रूची थी। उसके बाद बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील से उनका सम्पर्क हुआ । वे सच्चे जन सेवक सिद्ध हुए।

अपनी स्त्री का स्वर्गवास के पश्चात् उन्होने माजी साहब के मौहल्ले में वृन्दावन जी के मकान मे अपना औषधालय खोला। धीरे-धीरे औषधालय चलने लगा। मुक्ताप्रसाद जी वकील और अखिल भारतीय चर्खा सघ की शाखा के कार्यकर्ताओ से उनका सपर्क रहने लगा।

मि हैमरटन हर्डिंग उस समय पुलीस का सबसे बडा अफसर था। वह होम मिनिस्टर का काम भी करता था। वह कडे मिजाज का अफसर था। उसके कारण छोटे अफसर भी कतराते लगे। मघाराम जी ने उस समय प्रजा मण्डल नामक सस्था मुक्ताप्रसाद जी की सलाह से स्थापना की। वे प्रधान तथा लक्ष्मणदास मत्री बन गए। उस सस्था के १६ सदस्य थे।

रतन बाई ट्रस्ट के मकान मे ४ अक्टूबर १९३६ रात आठ वजे सदस्यो की प्रथम बैठक हुई । उसमे मघाराम

जी को प्रधान लक्ष्मीणदास स्वामी को मत्री तथा भिक्षालाल जी बोहरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कुल सदस्यो की कार्यकारिणी बना दी गयी ।

इस सस्था का उद्देश्य राजा और प्रजा मे बिना बैमनस्य स्थापित किए उत्तरदायी सरकार कायम करना था

कृषि कर्म सब जाति के लोग करते थे। परन्तु जाट समुदाय से पडितजी का विशेष सबध था । किसा के हक हकूको विषय मे आवाज उठाई जाने लगी उदासर गाव स्वर्गीय महाराजा कुवर साहब विजयसिह जी का था उस पर किसानो के हक हकूको का विषय लेकर कार्य करना शुरु किया। राज्य के अधिकारियो से उनकी ठन गयी स्पेशल होम मिनिस्टर हार्डिंग ने मघाराम जी तथा लक्ष्मणदास स्वामी को बुलाकर उदरासर के ब्राहमण की हत्या के सबध मे पुछताछ की तथा दोनो को पुलिस लाईन भेज दिया। नाना प्रकार के कष्ट दिए जाने लगे। १६ मार्च १९३ को दानो को देशनिकाले की आज्ञा दे दी। सत्यनारयण सराफ मुक्ताप्रसाद जी मघारामजी तथा लक्ष्मीणदास जी को देशनिकाल दिया गया।

मघारामजी कलकत्ते मुक्ताप्रसाद जी अलीगढ लक्ष्मणदासजी हिसार चले गए। कलकत्ते मे वे मारवाडी रिलिफ सोसायटी मे नौकरी करने लगे। वहा उन्होंने लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्ष बनाकर बीकानेर प्रजा मण्डल की स्थापना की। लक्ष्मणदास छ महीने कलकत्ते रहकर जोधपुर चले गये। मघाराम जी को रिलीफ सोसायटी मे काम करते एक वर्ष बीत गया। इनकी नानी रतू देवी डूगरगढ में बीमार हो गयी। इन्होंने बीकानेर महाराज से एक मास क लिए राज्य मे आने की इजाजत मागी। नानी की सेवा करने का विचार था। स्वीकृति पत्र मिला। दिल्ली स्टेशन पर कुछ कागजो की चोरी होने से वह आज्ञा वाला कागज उन्हीं के साथ चला गया। पुलीस ने गिरफतार कर लिया। हवालात मे रख दिए गए। दूसरे दिन एक आदमी खबर लेकर आया कि इनको एक माह रहने की इजाजत मिल गयी है। पुलीस ने छोड दिया। नानी का स्वर्गवास हो गया। दाह सस्कार मघाराम जी ने किया।

सोसायटी में सचारू रूप से कार्य करने पर इनकी प्रशसा पत्र दिया गया । सोसायटी से त्याग पत्र देकर इनहो युथ लींग मे काम करना शुरू किया। बुगडा लालमनिहाट कूच बिहार इत्यादी भ्रमण करने से बीमार पड गए। कलकत्ता वापस आ गए। बीमारी से छूटकारा पाया। निर्वासन की आज्ञा के सबध मे उन्होन बीकानर महाराजा से लिख पढी शुरू की। "बीकानेर का राजनैतिक विकास और पडित मघाराम वैद्य " पुस्तक के अनुसार बिना शर्त राजाज्ञा मि गई। परन्तु इसमे कुछ सन्देह की गुजाईस है। मघाराम जी ने लक्ष्मी देवी आचार्य के साथ कलकत्ते मे बीकानेर प्रज मडल खोली थी। जिसकी फाईल राजस्थान अभिलेखागार मे मौजूद है। लक्ष्मी देवी आचार्य के निधन के पश्चात उस फाई को बद कर दिया गया। करीब १९४० तक का इस मे रेकार्ड है। यह कैसे सभव है कि प्रजा मण्डल की कलकत मे स्थापना के कुछ समय पश्चात् महाराजा श्री गगा सिह जी ने उनको बिना शर्त बीकानेर आने की आज्ञा प्रदान की अभिलेखागार राजस्थान में जब तक इसके विपरीत कागजात नहीं मिल जाते तब तक उक्त पुस्तक म लिखे "बिना शर्त आज्ञा के विपरीत विषय मे कुछ नहीं कहा जा सकता।

' अभिलेखागार राजस्थान " में कुछ विशेष खोज के विषय मे अडचन पैदा कर रहे हैं । इसलिए अभी उपरोक्त तथ्य मा लेना ही उचित है।

मघाराम जी को देशनिकाला देने की आज्ञा फीनिया नामक पान वाले का एक चोरी के विषय मे पूछताछ में पुलीस द्वारा पिटाई के सबध मे आवाज उठाने से है । नयाशहर बीकानेर थाने मे एक जाट के यहा भेरिया नामक एक राजपूत ने चोरी की। फीनिया पान वाले को पुलिस के सब इन्सपेक्टर भवरसिह ने पूछताछ के लिए पकड लिया

तथा इतना मारा कि वह मर गया। इसकी आवाज प्रजा मण्डल के जरिए वैद्यजी ने उठाई तथा राज्य के कोपभाजन बने। इनकी तलाशी हुई। कुछ कागजात व चिटिठया पुलिस उठा ले गयी। ३ मार्च १९३७ को वैद्यजी व लक्ष्मणदास को स्पेशल होम मिनिस्टर मि हार्डिग की आज्ञा से गिरफ्तार कर पुलिस लाईन भेज दिया गया। वहा अथाह यातनाऐ दी गई। प्रजा मण्डल के कोष व कागजो के विषय में जवाहरलाल पुलिस डी आई जी के प्रश्न का कुछ उत्तर न मिलने पर १६ मार्च १९३६ को कचहरी मे बुलाकर दोनो को देश निकालने की आज्ञा दी व उनके यहायक उदरासर के किसान जीवन चौधरी को रू १००/- जुर्माना किया।

वैद्यजी बडे कर्मठ व विचारों के पक्के थे। वे जिस कार्य को सोच लेते उसे पूरा करने की चेष्टा करते। फल परमात्मा के हाथ था। जो भी अनका विरोध करता उसको चाणक्य की तरह जड से उखाडने की चेष्टा करते। वैद्यजी ने बीकानेर राज्य से टक्कर लेने के लिए जाट समुदाय को चुना। उनको उठाने की भरसक चेष्ठा की। परन्तु समुाय ने इनको हर वक्त धोखा दिया।

सन् १९३६ मे उदरासर गाव के किसानों की प्रजा मण्डल द्वारा आवाज उठाने तथा अत मे प्रजा परिषद् के अध्यक्ष बनने के बाद दुधवाखारा के व्यक्तिगत झगडे को राष्ट्रीय स्वरुप देकर वैद्यजी ने इस समुदाय के लिए त्याग किया यह अविस्मरणीय है परतु इस समुदाय ने अपने ही भीतर से एक व्यक्ति श्री कुम्भाराम आर्य को अपना मसीहा बनाकर वैद्यजी को नीचा दिखाया। इसको थोडे शब्दों मे इस पुस्तक में वर्णन किया जाता है।

श्री कुभाराम आर्य

श्री ठाकुदरदास जी रिटायर्ड पुलिस इन्सपेक्टर के शब्दो मे १९४३ तक इनके साथ हैड कान्स्टेबल थे। १९४३ के अन्त में दोनो सब इन्सपेक्टर हो गए। चुरु थाने मे लगा दिए गए तथा ठाकुरदास जी को बीकानेर सी आई डी विंभाग मे भेज दिया गया। कुम्भाराम जी आर्यसमाजी विचारधारा के है। अपने नामके पीछे आर्य लिखते हैं। ठाकुरदास जी ऐसा कहते हैं कि कई भटके हुए को इन्होने हिन्दू बनाया। पलिस मे जब तक रहे ईमानदारी सेक-र्तव्य निभाया। तहसील भादरा में फेफान नामक गाव के वे रहने वाले हैं। हिसार की सीमा के पास है। उस वक्त ब्रिटिश राज्य पजाब था। सीमा पार करके ये बराबर जाट समुदाय मे जाते थे। वहा भाषण वगैरह दिया करते थे।

१९४६ में हिसार जिले मे एक जाट कॉन्फ्रेन्स हुई वहा से इन्होने इस समाज के लिए काम करने की सोची। २० दिन की छुट्टी लेकर यह चले गये। बाद मे आई जी बीकानेर को स्तीफा भेजा। श्री दीवानचद आई जी ने इनको पदोन्नति का प्रलोभन दिया। किन्तु इन्होने स्तीफा वापस नहीं लिया। बाद में इन्होने जाटो के सगठन के लिए काम करना शुरू किया। यह जानकारी इनके साथी श्री ठाकुरदास जी ने दी।

दुधवाखारा आन्दोलन मे इन्होंने वैद्यजी का साथ दिया तथा जेल मे उनके साथ कुछ समय तक रहे। जैल से रिहा होने की वैद्यजी को इन्हीं की पेशकश थी। वे क्या हैं तथा बीकानेर राज्य से नौकरी छोडने के पश्चात् इनका महाराजा से क्या सबध रहा। अभिलेखागार राजस्थान मे अभी तक कुछ विशेष नहीं मिला।

१९४९ के मध्य मे राजस्थान राज्य मे रियासत का विलीनीकरण हो गया प्रजा परिषद् को समाप्त कर काग्रेस का गठन किया गया । इस समय ये प्रमुख काग्रेस के कार्यकर्त्ताओ मे हो गए । इनका साथ प्रजा परिषद् के मुखबिर रामरतन जी कोचर से हो गया । कोचर साहब का वर्णन आगे किया जा चुका है ।

एक बर्खास्त हुए पुलिस के ऑफिसर तथा दूसरे प्रजा परिषद् के मुखबिर दोनो ने मिलकर कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। बीकानेर राज्य के सारे हिमायती कांग्रेस में घुस बैठे।

मघाराम जी, कोचर जी के सख्त खिलाफ थे। वैद्य जी ने कोचर जी को स्मगलर ठहराने की भी चेष्ठा की। वैद्य जी के व कुभाराम जी में ठन गई। वैद्यजी पूर्णरूपेर्ण इनके खिलोफ हो गए तथा जब तक जीवित रहे इनकी खिलाफत की।

सन् १९५२ के प्रथम चुनाव में वैद्य जी को लूणकरणसर से कांग्रेस ने टिकट दिया परतु सिबल कुभाराम जी ले गए। कुभारामजी को कांग्रेसी सिंबल दो बैलो की जोड़ी मिल गई तथा वैद्यजी को सिह का सिबल लेकर लड़ना पड़ा तथा उनकी हार हुई। कांग्रेस ने वैद्यजी का क्या सन्मान किया इन बातों से पाठको को समझ में आ गई होगी। वैद्यजी का जीवन इन लोगों से जुझते हुए बीता। जाट समुदाय वैद्यजी के त्याग को भूल गए। जौधरी कुम्भाराम आर्य जाट मसीहा बन गए।

मघाराम जी डागा चौक में रहते थे। उनका पुत्र रामनारायण जिसका जन्म १५ अक्टूबर १९२६ मे हुआ उनकी पत्नि के देहान्त के पश्चात् उनके पास रहता था। श्रीराम व शेराराम दो भाई और थे।

डागों में रहने के कारण इनका हम लोगो से घनिष्ठ पारिवारिक सबध था। इसी के नाते मघाराम जी से विशेष सबध था। पं भिक्षालाल जी शर्मा मेरे घर के पास एक छोटी सी दर्जी की दुकान करते थे। आर्थिक अवस्था उनकी बहुत साधारण थी। पडित मघारामजी व पडित भिक्षालालजी बोहरा का परिचय देना रू जरुरी हो गया क्योंकि मैं प्रजा परिषद् का सदस्य बनने के पश्चात् इनका अनुयायी रहा हूँ।

मघारामजी बड़े सच्चरित्र व दृढ प्रतिज्ञा वाले आदमी थे। ताजी रात हिन्द का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। वे बड़े वीर तथा धुन के पक्के थे। ताजी रात हिन्द का ज्ञान होने से सरकार का सामना करते रहे। पुलिस वाले इनको मामा शब्द से सबोधित करते थे।

- रघुवर दयाल जी गोयल -

श्री रघुवर दयाल जी गोयल उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे। बीकानेर के मूल नागरिक नहीं थे यह पहले लिखा जा चुका है। बीकानेर के नागरिको के अधिकार कुछ विशेष थे। रघुवर दयाल जी गोयल देवीदत्त पत तथा शीतलप्रसाद जी दर्जी उत्तरप्रदेश के थे। रघुवरदयाल जी यहा वकील थ ।

पाक्षिकी रिपोर्ट एक नियमानुसार अजमेर मे रहने वाले ब्रिटिश अधिकारी को जाती थी। ता २४ ७ ४२ की पाक्षिकी रिपोर्ट जिसका नकल सख्या ३२९५/२३५६ एस बी दिनाक २४ ७ ४२ जो पत्रावली सख्या ३३ सन् १९३९ होम डिपार्टमेन्ट के पृष्ठ सख्या ३२० व २१ पर दर्ज है। पहले मे असर्फीलाल एक हरिजन पाठशाला का शिक्षक के आधीन कुछएक हरिजना की गोगागेट के बाहर रहने वाले हरिजन वास मे मीटिंग हुई उसमे के पाइप के कनेक्शन का जिक्र है तथा हरिजन के तनख्वाह बढने सबधी जिक्र है ।

दूसरे पेरा में ता २२ ७ ४२ को रावतमल जी पारीक की कोटरी मे गोयल जी द्वारा एक सोसायटी कायम की गई जिसका नाम प्रजा था। इसका सदस्यता शुल्क चार आना था। जिसके निम्नलिखित सदस्य उस समय हुए -

१	रघुवरदयाल जी गोयल	प्रेजिडेण्ट
२	रावतमल पारीक	सेकेट्री
३	गगादास सेवक	कैशिसर
४	भिक्षालाल	मेम्बर
५	सोहनलाल कोचर	
६	रामनारायण आचार्य	
७	श्रीराम आचार्य	
८	ख्यालीराम वकील इत्यादि	

यह मालूम हुआ है कि हीरालाल शास्त्री जयपुर राज्य का पहली मीटिग सचालन करेगा । रिपोर्ट का सारा अश पेश है ।

इसके पश्चात् एक कॉन्फीडेंशियल नोट नकल कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट पत्रवली सख्या ३३ सन् १९३९ होम डिपार्टमेन्ट के पृष्ठ सख्या ३४२ पृष्ठ पर दर्ज है । उसमे २९ जुलाई १९४२ को रघुवर दयाल जी देश निकाला दिया गया है । कारण मे लिखा गया हैकि उन्होने बीकानेर की (लॉयल) प्रजा को महाराजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और शाति भग करने की चेष्टा की । आगे लिखा है कि कुछ लोगो का उद्देश्य के खिलाफ प्रजा को भडकाने का था । इन्होंने कानून के तहत कार्य दिखाने केलिए प्रजा परिषद नामक बोगस सस्था कायम की जिसका उद्देश्य के काम करना था ।

रघूवरदयाल जी एक ब्रिटिश नागरिक है उसकी बीकानेर महाराजा के प्रति नीयत खराब है और बीकानेर राज्य के खिलाफ ब्रिटिश राज्य म प्रापरगण्डा करना चाहता है ।

पाचवे पेरा में राज्यद्रोही सत्यनारायण जो कि बीकानेर स्टेट का नागरिक है । पिछले तीन साल से इनका सबध बतलाया गया है । यह राज्य के लॉयल मुशी झमनलाल के पुत्र है और इस कारण सरकार ने इसके खिलाफ कार्यवाही करने मे देर की ।

पैरा आठ मे गोयलजी जोधपुर मे चल रहे आन्दोलन मे एक जत्या लेकर शरीक होने का इल्जाम है। पैरा नव तथा दसवे मे लिखा है कि महात्मा गाधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त के पहले सप्ताह म आन्दोलन छेड दिया था उसी का साथ देने में यहा भी यह सीविल डिस्ओबिडियनस आन्दोलन चलाना चाहता था। पूरा ४ पेज का प्रिन्टेड अग्रेजी में नोट है जो कि आपके अध्ययनार्थ पेश किया जा रहा है।

२२ जुलाई को ठीक एक सप्ताह पूर्व उनके देश निकाला के एक प्रजा परिषद् नामक सस्था स्थापित की वह ठीक ३ साल पहले कलकत म प्रजामण्डल नामक सस्था लक्ष्मी देवी आचार्य श्रीराम आचार्य की पत्नि द्वारा उनके सभापतित्व में कायम हुई थी। उन्हीं सिद्धान्तों को बढावा देने यह सस्था स्थापित

R R No 110 Dt 24 7-42

No 3295/2356 Dt 24 7-42

Fortnightly Report ending with the 24th July, 1942

I	Revolutionary Activities	Nil
II	Anti State Propaganda	Nil
III	Communal Activities	Nil
IV	Political	

i A thinly attented meeting of Herijans (sweepers) was held in Bhangion ka Bas outside Goga Gate on 7 7 42 in which Asrafi Lal teacher Harijan Pathshala Goga Gate while advocating clean living advised sweeners to approach the authorities concerned for a water pipe connection in their Mohalla and also that they should work up for increase in their wages (Vide this office No 3164/2213 SB dated 13 7-42

ii During early hours of the morning of 22 7 42 Raghubar Dayal and his party met in a Kothri situated in Nayashahr belonging to one Rawat Mal Pareek Brahmkn Petition writer and formed a sociely under the name of Praja Parishad, Bikaner No formal elections or is were made but as the whele show was in camera it is reported that the following have been appointed and selected as office bearers and members Annas /4/ permensem is reported to have been fixed as the Parishad fee

1	Raghubar Dayal	President
2	Rawat Mal Pareek	Secretary
3	Gangadass Sewak	Cashier
4	Sohan Lal Kochar	
5	Bhiksya lal	Member
6	Ram Narain Acharya	Member
7	Sri Ram Acharya	Member
8	Khaili Ram Vakil	Member
9	Ram Lal Brahmin	Member
10	Guthia @ Ram Kishan Sewak	Member
11	Dhanna Mall	Member
12	Satya Narain	Member
13	Dau Dayal	Member

It is also learnt that Hira Lal Shastri of Jaipur the President of Praja Mandal Jaipur State has been invited to come and preside over the first meeting of the Praja Parishad in Bikaner If this happens a meeting might be held here on or about the 29th instant with the said Hiralal in the chair (vide this office No 29/32 SHW dated 23 7 42)

Offg Inspector General of police

RRG

नकल पत्र संख्या 3295/2356 SB दिनांक 2
और पत्रावली संख्या 33 सन् 1939 होम डि
के पृष्ठ संख्या 320 व 321 पर दर्ज है

CONFIDENTIAL

NOTE

The following are the Lacts relating to the order issued on the 29th July 1942 for the externment of Raghubar Dayal Vakil and the action taken on the 9th August against 3 persons who were ring leaders in an attempt to start a subversive movement aimed at disturbing the peace and tranquillity of the Bikaner State and in other nefarious efforts to wean lakhs of His Highness the Maharajah s loyal subjeets from the allegiance they owe to their Ruler

2 It is desirable at the outset to make one fact quite elear The action taken against Raghubar Dayal was in no way connected with his activities or those of the few persons referred to above who had subversive aims although if the order of oxternment had not been passed against him for other reasons it would have doubtless been necessary to take notice of the attempts made chiefly by him to start the bogus Praja Parisbad which while pretending to be a constitutional step intending to create a other ulterior motives and aims

3 As regards Raghubar Dayal Government have been well aware for some years past that he had developed disloyal tendencies and had been carrying on undesirable activities against both the British Government and the Indian States and espeeially against the Bikaner State At the same time it was known from reliable reports that although he was full of ill will and ready to intrigue in the back ground and to encourage propaganda and to stimulate activites against the State he had preferred to follow the cowardly poliey of keeping and working behind the purdah and was anxious at least at that time to do nothing that may land him in trouble or lead to his prosecution

4 Reghubar Dayal was known to be associating himself with outside agencies whose proclaimed object was to foment unrest against the British Government and in the States and in pursuanceof this poliey he had invited outside agitators to Bikaner and personally rendered them assistance in their activities espeeially in publishing malicious and untrue statemonts about the State and its Government

5 Some three years ago when Mr Hamilton Harding C I E I P was Home Minister His Highness Government received equally roliable information that Raghubar Dayal was getting more and more in close touch with Satya narain Sarraf a notorious seditionist and malecontent of the Bikaner State who in 1934 was sentenced for sedition and criminal conspiracy to three years imprisonment who later on in March 1937 had to be oxterned from thr Bikaner State for continuing in his disloyal activitios and who had it is reported joined some political party in British India and had quite recently been arrested at Hissar for subversive agitation It also the definite knowledge of His Highness Government in August among other activities against the Bikaner State Satya Narain other agitators in British India were very anxious that even if cost money something should urgently be done as was also advised and indeed prossed by cortain leading Congrossmon to start a body to be called Praja Mandal or Paraishad really for subversive aotivities and to foment sedition in the State under the guise of a movement professing to represent State subjects

6 As a preliminary step in this direction Raghubar Dayal was also known to have been inspiring and directing the publication of false or distorted items of news in the less reputable English and Hindi papers whose anti State views are well known intending there by to bring the administration into discredit

7 Thus although it was becoming more and more apparent daily that the Government would one day be foreed to take action against Raghubar Dayal it was deemed desirable to avoid precipitate action and so hold their hand especially as Raghugar Dayal was the son of a leading and popular and loyal Vakil the late Munshi Jhaman Lall and it was hoped that he may yet see reason and the error of the course he was pursuing and mend his ways and not force Government s hands

8 But as Raghubar Dayal still continued to tread the path of sedition and disloyalty a decision was as a matter of fact arrived at even in May last to extern him and steps in that connection were still under consideration when it became known that he intended to organize a Jatha to go from Bikaner to Jodhpur to take part in the political agitation which had recently increased in the Jodhpur State

9 By then Mahatma Gandhi s decision to start a mass movement had also become public property and a meeting of the All India Congress Committee had been convened in Bombay for the first week of August shortly after which it was apprehended that civil disobedience movement would be started followed by serious trouble and subversive activies

breaking out in British India and that Raghubar Dayal on account of his association with the Congress would leave no stone unturned to spread such agitation in the Bikaner State also leading among other undesirable results to impeding the war effort of the State

10 It is the avowed policy and fixed determination of His Highness the Maharajah and his Government that so far as it lies in their power the subjects of this State should not be permitted to take part in political activities against the British Government or other States

11 Taking into consideration all the facts and the persistent efforts of Raghubar Dayal to foment unrest in the State to create trouble and illfelling between different classes of His Highness subjects and his conducting himself in general under the orders of outside bodies known to be hostile to the States His Highness Government decided in the fulfilment of their responsibility to extern him from the State and orders to that effect were ultimatly issued on the 29th July

12 Happy in the knowledge of the love and loyalty for His Highness the Maharajab of the overwhelming majority of his subjects and firmly trusting in their sound commonsense His Highness Government had nothing really to fear from such disloyal attempts At the same time knowing well how insidious such activities can be Government also felt that timely action was necessary to save ignorant and credulous people from falling into the clutches of persons out of foment trouble in the State

13 That Raghubar Dayal was not moved by any consideration for the welfare of the State or its people has been amply proved by his subsequent conduct On exterment from the State he proceeded to Jaipur and thence to Ajmer and Bombay to consult and take instructions from the Congress leaders who were meeting there His association with a body which subsequently was declared unlawful and whose activities were openly directed against the British Government demonstrates clearly the motives behind Raghubar Dayal s activities and brands him not only as a disloyal agitator but a traitor to the State and the Empire

14 Side by side with the order externing Raghubar Dayal his home was searched But as openly stated by Raghubar Dayal he had anticipated and taken precautions against such a move and nothing of any importance was found

15 Doubtless also anticipating that Government would at long last be taking some action against him Raghubar Dayal ventured on one last throw of the political dice On the 22nd July just one week before his externment he started what he called a "Praja Parishad thus giving effect to what was mooted 3 years previously in Calcutta as already narrated in para 5 supra

16 At the time of Raghubar Dayal s externment on July 29 the total membership of this body of Bikaner State subjects had only reached the figure of 17

17 On his being externed Raghubar Dayal urged his colleagues to go on with the work of the Praja Parishad and of enrolling members Ram Narain Acharya was appointed by this body of some 15 to 20 men to be President of the Praja Parishad vice Raghubar Dayal but he was intended to be the First Dictator

18 He was followed by Sri Ram Acharya whose late had taken a leading part some 3 years ago in the attempt to form a Bikanor "Praja Mandal in Calcutta It might be mentioned here that Sri Ram mostly lives in Calcutta and only recently came to Bikaner on account of the War scare and that he had at least once been sent to jail in British India for disloyal activities

19 He was the last of the Dictators of the Parishad

20 When Government were also compelled to take notice of the socalled Praja Parishad as will be described hereafter its total membership amounted to 47 this out of a total population of the Bikaner State of 12 92 938 at the time of the last Census or some 15 lakhs including the large influx of His Highness subjects from British India These figures in themselves give a good idea of the representative character of this bogus State subjects body

21 Most of the members enrolled were persons of no standing whatsoever Out of the 17 members 19 were petty shopkeepers such as betel vendors etc 4 gumashtas (clerks in private empoly) 2 other Vakils of no standing 2 gamblers 2 compounders attached to private practitioners 2 newspaper hawkers 2 tailors and a tailor s wife 1 tonga driver a hawker a petition writer and the rest were riff raffs with no visible means of livelihood It should however be noted that

the majority of them were either the clients or neighbours of Raghubar Dayal who were led away by him to participate in the agitation without any real knowledge of its aims and objects

22 Again of the 47 one was a woman the wife of a tailor from Meerut. Four including her came from British India and 1 from a neighbouring State (Jodhpur)

23 The membership subscription of the "Parishad was 4 annas The total funds in hand of the "Parishad amounted only to Four Rupees and Eleven Annas!

24 Four people were taken in Police custody Two of them Ganga Dass Sewag and Rawat Mal Pareek had shouted revolutionary slogans including "Inquitab Zindabad "long live Revolution" The third and fourth were the First and Second "Dictators On their tendering unconditional apologies Ram Narain Acharya Rawat Mal Pareek and Sri Ram Acharya were immediately released, and orders were served on Ganga Dass Sewag restraining his movements which he agreed to obey

25 It is being sought to be made out in the British Indian Press that this was a loyal body working for responsible Government under the aegis of His Highness the Maharajah the usual parrot like and insincere cry of all such persons and bodies who as is known are really engaged in seditionist activities While His Highness Government are satisfied that most of those who joined the movement were ignorant of the real aims it is clear from the written admissions of those who posed as leaders that their underlying object was subversive and disloyal as is also evident from the fact that revolutionary slogans like "Inquilab Zindabad" were shouted.

26 With the timely notice taken of their agitation the bogus "Praja Parishad had itself died a natural death and its membership has dissolved itself without any need for His Highness Government having to take any action

27 It has been reported that, after leaving the Bikaner State Raghubar Dayal saw at Govindgarh in the Jaipur State Balwantrai Deshpande President of the local branch of the All India Spinners Association Wardha who has since been arrested and that Raghubar Dayal has threatened to break the order passed against him by Government by coming back to Bikaner and courting arrest. If Raghubar Dayal is determined to do so Government will not hesitate to take whatever action is called for

की । इनके २९ जुलाई १९४२ को देश निकाला देने के समय तक इनकी सदस्य सख्या केवल १७ थी। पहले डिक्टेटर श्री रामनारायण आचार्य बन और श्रीराम आचार्य का नम्बर दूसरा था। श्रीराम जी द्वितीय युद के समय से यहा आए हुए थे। इनको ब्रिटिश भारत मे राज्य द्रोह के अपराध मे एक बार जेल भी हुई थी। तेरह लाख जनसख्या वाले राज्य मे सर्व प्रथम परिषद् की सदस्या सख्या ४७ थी । इन म इस कॉन्फीडेन्शियल नोट में लिखे अनुसार १९ निम्न कोटी के सदस्य थे। इनकी प्रजा मे कोई पेठ नहीं थी। इनमे २ वकील २ जुवाडी २कम्पाउण्डर २समाचार पत्र के हॉकर २ दर्जी और एक दर्जी की पत्नि, एक तागा ड्राईवर एक हॉकर एक अर्जीनिवेश और बाकी के बिल्कुल सोधपुर का था । रावतमल जी पारीक श्रीरामजी आचार्य व रामजारायण जी आचार्य गिरफ्तार किए गए । उन्होने माफी माग ली तथा गगादास जी सेवक भविष्य आन्दालेन मे कामन करने की शर्त मान गए। इनका पेज ४ पेरा २४ मे वर्णन है । इस प्रकार प्रजा परिषद् को खत्म कर दिया गया पैरा २६ मे यह लिखा गया है।

ता २९ ७ ४२ को गोयलजी को देश निकाले के बाद उनको राज्य मे प्रवेश कराने के बहुत से पत्र लिखे गए । १२ ८ ४२ के दास रतन कावर के पत्र मे इस प्रकार राज्य को सूचना दी

खादी भण्डार के बन्द होने के ऑर्डर होते ही सारे मेम्बरो मे सन्नाटा छा गया है रावतमल ने मेम्बरो से कहा कि शान्ति पकड लो सरकार जोर से दमन चक चला हरी है कामयाब नहीं हो सकोगे क्याकि सगठन नहीं है नया कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकेगा शायद रघुवरदयाल जी को भी आने स राक दिया जायगा ।

ता २५ ८ ४२ को अपने पत्र म दास रमन कोवर ने राज्य का किसी परिषद् के मेम्बर के जरिए यह इतला मिली कि गोयल जी का पत्र गगादास को आया है उसमे लिखा है कि मेरा इतने दिन नहीं आने का कारण यह है कि मेरे वहा पर आने के बाद अगर गवर्नमिन्ट जुर्माना करे मेरी जायदाद से वसूल करले इसलिए जायदाद से जुर्माना न वसूल कर सक ऐसा बन्दोवस्त करके बहुत जल्दी ही बीकानर आ जाऊगा । पूरे पत्र की नकल अध्ययनार्थ पेश है ।

इस पत्र से जाहिर होता है कि गोयल जी भी जायदाद जब्ती के डर से घबरा रहे थे ।

नकल पत्र सख्या ११०१/१६३५ सी दिनाक १५ १० ४२ जो पत्रावली सख्या ३२ सन् १९३९ होम डिपार्टमेन्ट के पृष्ठ सचपा ३४५ पर दर्ज है पत्र १५ अक्टूबर १९४२ का है । पत्र पावल आई पी इनसपेक्टर जनरल पुलिस एसिस्टेट टू आनरवल दी रजिडण्ट फॉर राजपुताना आबू को सूचनार्थ लिखा गया है ।

पत्र सार निम्न प्रकार है । पत्र अग्रेजी में है रघुवर दयाल जिसको २९ जुलाई १९४२ को देश निकाला दिया गया था राज्य की सरहद मे रेल द्वारा २९ सेप्टेम्बर १९४२ को राज्य के हुक्म क खिलाफ प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट द्वारा एक साल की सख्त सजा तथा १०००/- जुमाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट के आधीन किया गया । पत्र की सही कॉपी अध्ययनार्थ पश है ।

प्रजा मण्डल की स्थापना के केन्द्र बिन्दु बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील व मघराम जी वैद्य रह । उसी प्रकार प्रजा परिषद् की स्थापना के केन्द्र बिन्दु बाबू रघुवर दयाल जी व मघाराम जी रहे । दानो सस्थाआ के कार्य क्षेत्र के चक्के की धुरी के यही लोग है ।

प्रजा परिषद् के किया कलापो म गोयल जी का पूरा आलोचनात्मक वर्णन किया हुआ है । निर्वासन काल मे इनका सारा खर्च परिषद् के च से हुआ । इनका कभी बन्दीकाल के समय मे शारीरिक उत्पीडन नहीं दिया गया । बीकानेर राज्य का इनका रख-रखाव का प्रबन्ध विशेष प्रव का रहा । अभिलेखागार राजस्थान के रेकार्ड के अनुसार मघराम को सबसे ज्यादा शारीरिक उत्पीड़न बीकानेर राज्य द्वारा दिया गया ।

स्टेटों के विलीनीकरण के बाद राजस्थान राज्य की स्थापना हुई । सर्वप्रथम हीरालाल जी शास्त्री प्रथम मुख्यमत्री बने । गोयल जी इनके मत्रीमण्ड मे सदस्यमत्री बने । उसी बाद इस कार्यकाल में उनके रवैये से बीकानेर की जनता पूर्णरूपेण क्षुब्ध होकर विमुख हो गई तथा भविष्य मे इनके राजनैति जीवन का यहीं अन्त हुआ । जनता के सामने राजनैतिक मच फिर कभी वहा नहीं दिखाई दिये ।

। [illegible] खबर मिली है कि —

(1) रघुवर दयालजी का पत्र जगाहास के पास आया है — उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा इतने दिन नहीं आने का कारण यह है कि मेरे वहाँ पर आने के बाद अगर गवर्नमेंट जुरमाना करके मेरी जायदाद से वसूल करले इसलिये जायदाद से जुर्माना वसूल न कर सके ऐसा बंदोबस्त करके बहुत जल्दी ही बीकानेर आजायगा

(2) कलसे मेम्बरों में ऐसी बात हो रही है जिन्होंने माफी मांग ली सो तो माँगली बाकी जो रहे हैं सिधान्त पर डटे रहो सो 1-8-42 से पहले पहले कोई नया काम करने का विचार कर रहे हैं

(3) सबसे पहले जगाहास सेवा आज्ञा भंग करेगा

(4) श्रीराम आचार्य ने कहा कि मैं लिखकर आया हूं तो क्या हुवा। हर तरह से तैयार हूं

(5) कुछ मेम्बर आज दिन में इकट्ठे होने वाले हैं अगर कोई नयी बात होगी तो आपको ~~[illegible]~~ सूचित कर दूंगा

[illegible] दास
२०/७

[illegible]

हाँ ठीक [illegible] इन बातों को देखो है। [illegible]

No. 1101/1035C

Bikaner.
Dated the 15th October 1942.

(Dear Mr. Powell,)

Following is the information for the first half of October 19.2.

POLITICAL.

Raghuvar Dayal who was externed from the Bikaner State on the 29th July 1942, entered the State territory by rail on the morning of the 29th September in defiance of orders. He was accordingly arrested and has after trial been sentenced to one year's R.I. and Rs 1,000/- fine under the provisions of the Public Safety Act.

(Yours sincerely,)

R. Powell, Esqr., I.P.,
Inspector-General of Police and Police Assistant to the Hon'ble the Resident for Rajputana,
A B U.

हीरालाल जी शर्मा

`हीरालाल जी शर्मा सुजानगढ तहसील बीदासर ठिकाने रहने वाले है। गोयल जी की गिरफ्तारी के विरोध मे रतनबिहारी जी के पार्क मे "सैनिक" के सपादक श्री जीवाराम जी पालीवाल की अध्यक्षता मे २६ जून १९४६ को एक आम सभी की गई। बीकानेर प्रजा परिषद कानपुर शाखा के अध्यक्ष हीरालाल जी शर्मा ने एक भाषण दिया था। इस भाषण मे इन्होंने महाराजा साहब की आलोचना करते करते यह कह डाला कि "ऐसे राजा को कान पकड कर उतार दिया जाय" इन शब्दों से श्रोताओं मे रोष पैदा हो गया। श्रोताओं में से कुछ एक जनों ने इनकी पिटाई की। सभा भग हों गई तथा इनको वहाँ से भाग जाना पडा।

रेवतीरमण जी गोस्वामी सी आई डी सब-इन्सपेक्टर की सभा में ड्यूटी लगाई हुई थी। रेवतीरमण जी के कथानुसार ये भाग कर गोयलजी के घर मे घुस गए। लोगों ने उनेका पीछा किया तथा पुलिस के बीच-बचाव से लोगों से पीछा छुडाया गया।

हीरीलाल जी के कथानुसार कुछ भाड़े के शरारतियों ने पूर्व निश्चय के अनुसार शोर मचाकर सभा भग करवा दी और वे वहीं खडे रहे।

प्रजा परिषद का उद्‌देश्य 'बीकानेर महाराजा की छत्रछाया मे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की पूरी व्याख्या शासक और परिषद के कार्यकर्त्ताओं की अलग-अलग थी। परिषद के कार्यकर्त्ता महाराजा के शासन प्रक्रिया को अनुत्तरदायी समझते थे। जबकि महाराजा अपने तौर-तारीकों को उत्तरदायी समझते थे। १० अगस्त १९४२ को कौंसिल के सामने सबके साथ मेरे को बुलाया गया तो प्राईम मिनिस्टर मान्धासिह जी का यही प्रश्न था कि "उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ होता है" मेरा उत्तर था "मैं तो अग्रेजो भारत छोडो का पक्षधर हूँ आपका शासन उत्तरदायी है या नहीं, इस झगडे मे मैं नहीं जाता"। राजा ने समयानुसार शहर के कुछ नुमाइन्दा को चुन के और नामजद करके शासन करने के लिए कौसिल बनायी हुई थी। हीरालाल के शब्दो मे प्रचलित शासन अनुत्तरदायी था। चुनाव के जरिये जो शासन स्थापित हो वह उत्तरदायी होता है।

हीरालाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। शेसन जजी अदालत में मुकदमा चला। अप्रेल १९४७ में उन्होने जज के सामने यह बयान दिया कि वे गाधीवादी विचारधारा के हैं तथा अहिंसा मे विश्वास रखते हैं। प्रचलित शासन को अनुत्तरदायी समझते हैं। उन्होने महाराजा का नाम भी नहीं लिया तथा कान पकड कर उतारने की बात सभा मे नहीं की।

अभिलेखागार राजस्थान में इनके बयान को मैंने पढा है किन्तु बयानो की प्रतिलिपित देने की निदेशक साहब की इच्छा नहीं है।

बीकानेर परिषद के कार्यार्ता व महाराजा इस व्यक्ति को भूल गए वे सब से बाद मे इनकी रिहाई हुई।

हीरालाल गोयल गुट के हैं। दुधवाखारा काण्ड के रिहाई के समय मघाराम जी ने गोयल जी को याद दिलाया था कि हीरालाल जी के विषय में क्या हुआ गोयलजी ने वैद्यजी को कहा राज्य के कानून अनुसार उनको पाच सात दिन मे छोड दिया जायेगाा। अन्यथा बाहर निकल कर मुकदमें की पैरवी करेंगे। गोयलजी की रिहाई की बहुत उतावली थी। अगर उस वक्त गोयलजी अड जाते तो हीरालालजी भी छोड दिए जाते। हीरालाल जी को एक लम्बे अर्से तक बन्द रहना पडा।

कागड काण्ड

५०० वर्ष डोड जात के जाटो ने कागड ग्राम बसाया था। इस समय के साथ गाव अनेक व्यक्तियो के आधीन रहते हुए खालसा हो गया। ठाकुर गोपसिह जी से प्रसन्न होकर महाराजा गगासिह जी ने सवत १९८० मे अपने गुजारे के लिए इनको दे दिया।

गाव खालसा में मजारूआ की बीघा दो आना तथा बजर पर दो पैसा लगता था। १९८८ मे गोपसिह जी ने मजारूआ पच्चीस रुपया तथा बजर उन्नीस रुपया कर दिया। लागम की बढायी रकम वृद्धि के साथ-साथ वसूली की कडाई कर दी।

सन् १९४६ म ठाकुर साहब के आदमी वसूली करने पहुँचे तो किसानो ने लगान देने से साफ इन्कार कर दिया । ग्राम म सरकारी अफसर जा पहुँचे। उन्होने लागमा देने को कहा। कल ३५ व्यक्ति बीकानेर महाराजा स अपने प्रार्थना पत्र लेकर चल दिए।

गाव का कुल रकम ग्यारह हजार (११०००) बाकी है तथा लगभग ७५० आदमी रहते हैं। जाट ९० नायक ७ चमार १३ ब्राहम्ण ५ स्वामी ५ नाई २ भाट १ महतर १ ढोली १ नाथ २ राजपूत १ सुनार २ चारण २ गाव मे कुल कुए २ १ पक्का कुण्ड परमानामक जाट का बनाया हुआ तथा रतनगढ के साहूकारो का बनाया हुआ एक तालाब है। ठाकुर साहब ने वसूली मे कडाई बरतनी शुरू की झगडा हुआ तथा चौधरी सुरजाराम लाठी से घायल हो गये।

३५ व्यक्ति महाराजा से शिवबाडी के निकट मिले। महाराजा ने ५ व्यक्ति को लालगढ बुलाया। तानाट मे प्रतापसिह जी ने उनको कुछ कहकर व सुनाकर भगा दिया।

वे व्यक्ति परिषद के कार्यालय म पहुँचकर जाच करने की माग की। ३१ अक्टूबर को जाच करने के लिये निम्न व्यक्ति चल दिए -

(१) स्वामी सच्चिदानन्द उप प्रधान (२) श्री केदारनाथ एम ए (३) हसराज (४) दीपचद (५) मौजीराम (६) श्री गगादत्त रगा प्रधानमंत्री प्रजा परिषद बीकानेर (७) रूपाराम।

१ नवम्बर को यह सब वयक्ति कागड ग्राम की सीमा पर पहुँचे। लोगा से उन्होने कथा सुनी। गाव म अधिक दूर न जाकर वहाँ स लौट गए क्योंकि ठाकुर साहब के आदमी खडे थ। चार मील चले होग कि ठाकुर साहब के आदमियों ने उन्हे घेर लिया सातो व्यक्तियों को किले में लेजाया गया और पिटाई की। एक ब्राहम्ण का यह कह कर टाल दिया गया कि वह उनका गुरू है। दूसरे दिन सबा को गाव से निकाल दिया गया। ऐसा सुना जाता है कि कुछ जाटा की तो पिटाई हुई परन्तु बाकी क खडे रहे। सारे वयक्ति बिना किसी नतीजे के वापस लौट आए। वहाँ उनका जाना अर्थ शून्य रहा।

सार यह है कि गाव की आबादी ७०० की थी। कुल ३५ वयक्तिया न कडा विरोध किया। ये बीकानर महाराजा के पास शिकायत लेकर पहुँचे। महाराजा ने इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। परिषद के दफतर मे यह बताने के पहुँचे। परिषद वालो ने अपने प्रतिनिधि गाव मे जाच के लिए भेजे। प्रतिनिधि थोडी दूर गाव चलकर बिना जायजा लिए ही ठाकुर साहब के डर के मारे लौट गए। लौटते ही प्रतिनिधिया को घेरकर गढ ले जाया गया। क्योकि ठाकुर को उनका नैतिक स्तर मालूम पड गया। ताडना के साथ उनको छोड दिया गया। वापस बिना कार्य पूरा किए अपने कार्यालय म आ गए यही कागड काण्ड का पूरा विवरण है। अगर ७०० का बहुमत छोडने को तैयार हो जाता तो ठाकुर साहब को लेने के देने पड जाते। परन्तु ऐसा हुआ नहीं।

ठाकुर साहब ने घर लौटते हुए प्रतिनिधियों को घरकर किले म बुलवाया। यह बडी भूल थी। अन्यथा कोई चर्चा भी नहीं हो

सहायक निर्देशक (एसीस्टेंट डाईरेक्टर) अभिलेखागार तथा निर्देशक साहब राजस्थान की असीम कृपा से मेरे को मेरे सबधित रेकार्ड उपलब्ध हुए। मेरे पास क सारे कागजात अक्टूबर १९७१ मे कलकत्ते से दिल्ली के रास्ते धनबाद (बिहार) स्टेशन पर बक्से म रखे हुए चोरी हो गए। मैं बीमार था। मेरे को कुछ काल के लए मूर्छा आगई। इतने मे मेरा बक्सा चोर उठा कर ले गए। एफ आई आर दर्ज करायी गयी मतलब कुछ नहीं निकला। दो दिन वहा रहने के उपरान्त चदा करके वहा से बीकानेर रवना हुआ। धनबाद म मेरा पूरा परिचय तथा झरिया म दिसम्बर १९४१ तक झरिया-एकेडमी" मे दसवीं क्लास तक विद्या अध्ययन हुआ है। मै वहा स्कूल से निकाला गया था। सहायक निर्देशक गिरिजाशकर जी महोदय का पश्न था कि मैं इतनी छोटी अवस्था म एक सम्पन्न परिवार का सदस्य होते हुए भी परिवार सारा महाराणा गगासिंह जी का भक्त और गगासिंह जी की बीकानेर रियासत में तूती बोलती थी राजनीति म कैसे प्रवेश हुआ।

इस विषय मे कुछ पारिवारिक परिचय देना उचित होगा। मैं एक सम्पन्न धनी परिवार का सदस्य हूँ। सन् १९२० के पहले मेरे परिवार के भारतवर्ष म सर्वत्र ७२ शहरो मे गद्दीया थीं तथा कहीं नयनसुख दास सुखदेव दास रिखबदास नामक फॉर्म थे। मद्रास में अभी भी कुछ यादगार है। मद्रास मे एक धर्मशाला "नयनसुख दास हरसुखदास मुल्तान चद" कम्पनी वाला की कहलाती है ३ तुलसीगस्ट्रीट साहुकार पेठ मे है तथा साहुकार पेठ मे मेरे चाचा की स्थापना की हुई एक सनातन धर्म विघालय है। हिंदू विश्वविघालय वाराणामी के स्थापना के समय प्रमुख विशेष आमत्रित व्यक्ति जिसका एक्जी बिट - १ कि प्रमाण प्रस्तुत है

नागरी भण्डार बीकानेर की स्थापना म प्रमुख हाथ रहा जिसके कि सारे कागजात अभिलेखागार को सुपुर्द करके उसकी रसीद आपके सामने प्रस्तुत है। एक्जीबीट-२ इस तरह अनेक हिन्दी के उत्थान के कार्य स्वल्प कॉल मे किए। सन् १९१५ म कस्तूरचद जी डागा से सावालिग होने पर अधिकार पाया तथा सन् १९२० में प्रथम महायुद्ध समाप्त होने पर बाजार में गिरावट का झटका लगा उसके वे सभाल न सके गिरावट आगई। उस समय कलकत्ते स्थित श्रीरामपुर मे एक कॉटन मिल भी थी।

करीब दस साल तक अस्त व्यस्त रहने के उपरान्त मेर पिताजी को उनके निकटस्थ चचेरे भाईया ने फार्म हरसुखदास बालकिसन दास के अधीन झरिया में गोलकडी व निलारीपतरा कोलयारी मे नौकरी करने का किया। करीब १९३१ मे उन्होंने झरिया मे आनर्स रिप्रेजन्टेटिव की पोस्ट स्वीकार करली। झरियावासियों को यह मालूम न था कि नौकर है या मालिक। वे उन्हे मालिक की हैसियत स देखने थे।

मेरे पिताजी देश भक्त थे। वे गाधी व सुभाष के अनुयायी थे। उनको गोलकडी मे एक स्टोरकीपर की (गोदाम बाबू) तथा निलोरीपतरा कोलयारी मे एक केशियर की जरूरत थी। एक प्रमुख व्यक्ति ने दो आदमी का परिचय कराया तथा उनका ईतिहास जानते हुए भी उनको नौकरी म रख लिया। ये दोनो आदमी चटगाव डकैती कैस" के जुर्म मे फरार थे। उनका मुखिया अनतसिह था। जिसने अग्रियुगेर एकटि अध्याय" लिखा है। प्रथम का नाम भवतोश था। उसका निलोरीपतरा कोलयारी मे केशियर बना दिया गया। दूसरा ज्योति बाबू था उसको गोलकडिह मे गोदाम बाबू बनाया गया।

जनवरी १९३३ म खुफिया पुलिस को इनकी सुराख लगी। गोलकडी मे चारो तरफ लाल पगडी दिखाई देने लगी। कोलयारी मे छापा मारा गया। कोलयारी गुदाम से बम बनाने क सामान की बरामदगी हुई। एक अखबारी कागज मे मेरे भाई किसन गोपाल के महाजनी मे साठे की कलम से दस्तखत थे। साठे की कलम को सुधार कर उससे पहले परीक्षणार्थ लिखा जाता था। उस कागज मे बारूद लपेटा हुआ था। मेरा भाई उस समय अपने ससुराल पुरुलिया मे था। उसके वहा से बीकानेर जाने को कहा गया। मेरे पिताजी पर कोलयारी के मालिक होने की वजह से बम केस का मुकदमा चला। भवतोष तथा ज्योति बाबू का गिरफतार कर लिया गया । धनबाद सब-डिविजन का जिला मानभूम था । इसका सेसन कोर्ट पुरुलिया मे था । सेसन कोर्ट म मुकदमा चला ।

सेसन कोर्ट में अँग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज था । मेरे पिता की पेशी हुई । पेशी मे मेरे पिताजी ने जज से कहा हुजूर इनको मैन जानबूझ कर बहाल किया । हुजूर इसके सिर एक साईन बार्ड लिगा थाकि ये क्रान्तिकारी है । हुजूर की पूलिस इनको दो साल तक पता नहीं लगा सकी तो मेरा क्या कसूर मुझे आदमी की जरुरत थी । परिचय पाकर रख लिया । जज साहब इससे प्रभावित हुए और उनको बरी कर दिया । भवतोष व ज्योति बाबू को काले पानी की सजा हूई ।

स० निदेशक

Exhibit-2 दूरभाष कार्यालय एवं
आवास : 3354

राजस्थान राज्य अभिलेखागार
बीकानेर पिन कोड–334 001

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक तदे।७८७।115
दिनांक १७-९ १९८७

श्रीयुत डागा साहब,

आपने अपने द्वारा संकलित नागरी भण्डार की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख इस विभाग को सौंपे हैं उसके लिये यह विभाग आपका आभार मानता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप इस विभाग को इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

आपके द्वारा प्रदत्त अभिलेख इस विभाग के लिये ही नहीं अपितु शोध जगत के लिये भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे एवं इस विभाग में सदैव सुरक्षित रखे जायेंगे, जब आपके अभिलेखों की सूची पूर्ण रूप से तैयार हो जायेगी उसकी प्रति आपको बाद में भेज दी जायेगी।

भवनिष्ठ,

(गिरिजा शंकर शर्मा)
सहायक निदेशक,

श्री जीवनलाल डागा,
पुत्र [illegible]गोपाल डागा, [illegible] कुआँ,
बीकानेर।

(3)	Goverdhanlal	A poem admiring the personality of Mahatama Gandhi
(4)	Chandra Deo Sharma (A College Student)	A poem marking his own associations with Gandhites Another poem calculating to show that Gandhi was the backbone of the country whose dictatorship deserved to prevail
(5)	Nand Kumar	A poem advocating the use of Khadi
(6)	Satya Narain	Bhajans describing the internal hopes of a human being
(7)	Nathu Ram Khargawat	A poem describing Mahatama Gandhi s ideals saying how he goes about waking up masses

Note This speaker before reciting the poem had asked the President for permission to read out a poem dealing with a subject other than Khadi One Goswami remain in a spirit of retaliation that such a permission should not be given adding that if this was allowed there was little reason why poems against the Khadi itself should not also be permitted This controversy impelled Chhaganlal Chopsaniwala to intervene who stood up and remarked that Khadi was least popular in Bikaner State in contrast with British India and other States adding that this was the day on which fountains of blood were oozing there On this Goswami put in a retort saying that Chhagan Lal had no authority or right to indulge in utterances directed at the State as Khadi had nothing do with politics The President eventually on the point of order directed Chopsaniwala to sit down and allowed Khagrawat to read out his poem

(8)	Heralal	A poem dilating on the aims and objects of Kaushik life
(9)	Satya Narain	A poem advocating the cause of Harijans parik

The president after offering prayers winded the Sammellam and thanked the audience for participating in the Sammellan

On the next day a Charkha Competition was held on their premises from 4 30 p m to 6 p m Which was attended by about ten souls (none of any consequence) besides the competitors named below who plied their respective Charkhas in the competiton

(1) Dev Dutt Panth Manager Khadi Bhandar
(2) Malchand employee Khadi Bhandar
(3) Shankerlal employee Khadi Bhander
(4) Chhaganlal Chopsaniwala Bhander
(5) Raghubar Dayal Vakil
(6) Kanihya Lal
(7) Ghewar Lal
(8) Hari Kishan
(9) Asharfi Lal
(10) Mohan Lal
(11) Dau Lal

Half an hour was allowed for the test and the results declared gave the first position to Dev Dutt Panth second to Mal Chand and the third to Raghubar Dayal Vakil Dhanpat Rai Gandhi due to his late arrival and Bak Maghwal by reason of his Charkha going out of the order could not sit in the competiton but they plied their Charkhas the same and the yarn so produced was exhibited before the audience

On the 13th April according to their scheduled progra the following persons continued playing Charkhas 13 4 42 from 7 10 a.m to 7 10 p m at the Khadi Bara by turns

(1) Chhaganlal Chopsaniwala
(2) Mal Chand
(3) Shanker Lal
(4) Ashrafi Lal
(5) Raghubar Dayal

In the evening the metting was cancelled for reasons noted below

As the questions of eradication of untouchability bears a special feature in this city due to Sentimental feelings of a major section of Hindu public here who regard this move as wholly irreligious Dev Dutt Panth the Chief Organizor of the meeting was warned by the Inspector General of police against any attempt to convene this meeting without lawful permission He there upon submitted a petition to the Inspector General of Police which the latter as a matter of correct procedure forwarded to the Nazim along with a report furnished by the City Police on the subject The Nazim after considering the reasons quoted in the report reached the decision that the holding of the meeting with the controversial question of the untouchability on the programme should not be allowed an Bikaner Sity as this was likely to lead disaffection among the various classes of His Highness subjects This decision was promptly communicated to Dev Dutt panth with the result that the idea of holding the meeting was abondoned As however this decision had not been commucicated to the intending Visitors of the meeting about 17 or 18 persons came up in the Bara at the appointed time but on learninght that the meeting had been cancelled they quietly dispersed

Two small tri colour flags about a foot in length were seen placed against two poles of a Verandah in the Bara Building not visible from outside which have been removed now

(2) The Riyasti Diwas which was programmed to be celebrated in every State on the 19th April was not observed in Bikaner City nor anywhere else in the districts Dev Dutt Panth Ganga Dass Sewak Chhagan Lal Chospsaniwala Raghubar Dayal Vakil and a few others collected in the Khadi Bhandar during morning hours but decided to take no active action at this place It has been learnt that Dev Dutt Panth is being transferred from this place probably because of his inaction on the 13th instant when the meeting was banned under orders of the Nazim

---

(F)

[signature]

Offg. Inspector General of Police,
Bikaner.

(RRG)
24.4 42.

R 171-C 30-4-42

411/502C D/ 27/4/42

I propose to send the information contained to P A to the Hon Resident
with form VI (foreigners)

[signature]
28 4 42

I & P M.

R R No 537 C 30 4 42

No 254-C d/- 30-4-42

I agree, but I think in terms of our recent letter it should be added that there are no private civil defence organisations

[signature]
30/4/42

Urgent

PM

May I send the information as suggested by P.M.

[signature]
1 5 42

I agree [signature]

1 5 42

इस रिपोर्ट के पेज न २ पोलिटिकल समाग के अनुसार 'स्टेट पिपुल्स कॉन्फ्रेस की घोषणा अनुसार एक राष्ट्रीय सप्ताह मनाग गया। ता ७ से ८ अप्रेल १९४२ तीन दिन तककोई विशेष कार्यक्रम नहीं रहा। उसमे केवल खादी व ऊनी वस्त्र का प्रदर्शन अलख सागर ऊन की फैक्टरी के पास किया गया ता ९ को दो बैलगाडी मे देशी खादी के बने कँपडे लदे थे तथा एक बैलगाडी हरिजन स्त्रियाँ जो कि खादी भण्डार मे नौकर थी रास्ते मे चर्खा चलाती हुई बैठी थी। जलूस साय ४ बजे से ७ बजे तक सुनारों की गुवाड कोचरो का मौहल्ला सदर बाजार तेलीवाडा इत्यादि होती हुई वापस अलखागर कुए के पास आई उनमे जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम निम्नलिखि है -

१ देवीदत पन्त मेनेजर खादी भण्डार

२ छगनलाल चोपासनी वाला

३ मालचद बैहर

४ शकरलाल

५ सोहनलाल कोचर स्वदेशी भण्डार

६ सत्यनारायण पारीक एक कॉलेज विद्यार्थी

७ हरिचन्द दम्मानी

८ जीवनलाल डागा

९ चार खादी भण्डारके हरिजन नौकर

उसी दिन रात को सगीत सम्मेलन हुआ जिसका पूरा विवरण अगेजी मे दिया हुआ है। ।। अप्रेल को कवि सम्मेलन हुआ। इसका प्रेजीडेण्ट क्रान्तिचद हरिजन पाठशाला का शिक्षक था। उसके दूसरे दिन साय ४ ३० बजे तक चरखा कम्पीटीशन हुआ। इसमे रघुवरदयाल जी गोयल देवीदत पत इत्यादि ने भाग लिया।

१३ अप्रेल की शाम को निश्चित प्रोग्राम के अनुसार ७ १० सुबह से ७ १० सध्या तक चर्खा कताई हुई। किन्तु उसी सध्या को मीटिंग निम्न कारण से रद्द करनी पडी -

अछूतोद्धार के खिलाफ शहरी जनता है इसलिए मीटिंग व्यवस्थापक देवीदत्त पन्त को इन्सपेक्टर जनरल पुलिस का हुक्म चेतावनी के साथ मिला कि इस तरह का प्रयत्न न किया जाय। नाजिम साहब ने ऐसी मीटिंग के होने से बदअमन फैलने का खतरा बताते हुए मीटिग को रद्द करने का हुक्म दिया। हाकिम साहव को इस मीटिग से वर्ण सघर्ष होने का कारण लगा। दो तिरगा झण्डा जो कि बाडे मे लगे हुए थे दिखाई नही दिए।

गगादास सेवग देवीदत पन्त छगनलाल चोपासनीवाला इत्यादि सुबह खादी भण्डार मे इकटठे हुए और कोइ प्रतिक्रिया व्यक्त न करने का फैसला किया।

देवीदत पन्त का इस जगह से तबादला हो जायगा क्योकि नाजिम के हुक्म से मीटिंग न कर सके।

इस पाक्षिक रिपोर्ट से दो बात सामने आती है -

१ रियासती राजा पूरे अग्रेज सरकार के हुक्म के आधीन थे।

२ उनको पाक्षिक रिपोर्ट रेजिडेण्ट को भेजकर सारी रियासती परिस्थितियो से अवगत कराना पडता था।

अभिलेखगार मे मेरी पहली रियासत मे राजनैतिक उपस्थिति का यह प्रथम चरणहै। रियासत मे प्रवेश सबधी कागजात अभी नहीं मिले है। एक हैड कान्सटेबल दो सिपाही लक्ष्मीनारायण थानेदार के आधीन घर के बाहर नियुक्त किये गये थे। निगरानी की तौर

पर एस पी साहब गोवरधनलाल जी का आना होता था। अप्रेल के बाद मई व जून के महीने के क्रिया-कलापो का कोई कागजात प्राप्त नहीं है।

करीब २२ जूलाई १९४२ को प्रजा परिषद की स्थापना श्री रघुवरदयाल जी गोयल दुवारा की गई। श्री गोयलजी बीकानेर राज्य के एक सनदयफ्ता वकील थे। श्री गोयल जी बीकानेर राज्य मे इनका स्थान दो नम्बर नागरिक का था। इनको राज्य मे रहकर कमाने का तो अधिकार था तथा निवास स्थान के लिए घर भी बनवा सकते थे परन्तु राजनैतिक गतिविधियो मे इनको राज्य का नागरिक अधिकार नही था। इनको बीकानेर का मूल निवासी नहीं माना जाता था। राज्य के मूल निवासी प्रजा का अधिकार कुछ विशेष होता था।

मे इसी प्रजा परिषद का सदस्य इसकी स्थपाना के माद श्री गगादास जी कौशिक द्वारा बनया गया। श्री कौशिक जी से मेरा पारिवारिक सबध था। मेरा नाम सदस्यता श्री जीवनलाल डागा आर्य बिहार वाले लिखा हुआ है।

जासूसी विभिन्न प्रकार की होती थी -

।१। पुलिस तथा उसकी सी आई डी रिपोर्ट ।२। पुलिस अफसरो की मुरवाबिरो की रिपोर्ट ।३। प्रशासकीय अफसरों की मुरवाबीरो की रिपोर्ट ।४। मिनिस्टरो के मुरवाबिरो की रिपोर्ट। कमी-कभी मुरवबिरो मे आपस मे टकरावट हो जाती थी। आपको सारे अभिलेखागार राजस्थान के रिकार्ड अध्ययनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है।

पुलिस अर्द्धशिक्षित होती थी। इनको ताजीरात हिन्द ।आई पी सी तथा सी आर पी सी। का पूरा ज्ञान क्लास लगाकर कराया जाता था। उच्च अफसरो में विशेषत पटटेदार ठाकुर होते थे। सर्वोच्च अफसर अग्रेजो का कोई माना हुआ आदमी होता था। इन्सपेक्टर जनरल पुलिस कोई अग्रेज या उनका माना हुआ आदमी होता था। शासन कानून अग्रेजी और जूता राठौडी चलता था। मुडिया भाषा को भी प्रचलन था। मेरा नाम पुलिस रिपोर्ट मे जीवनराम जीवनलाल जीवनमल जाति डागा लिखा हुआ है। परन्तु मुखबिरो की रिपोर्ट मे जीवनलाल डागा ही है। मुखबिरो का नाम दास रतन कोचर (रामरतन कोचर) अज्ञात ही रहेगा व नरसिंहदास डागा ये तो जनता में से है परन्तु प्रजा परिष्द के सदस्यो मे से सब एक दूसरे को मुखबिर बताते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं किन्तु मुखबिरों के नाम अभिलेखागार के रिकार्ड मे स्पष्ट लिखे है। प्रमाण अभिलेखागार के कागजो से स्पष्ट हो जाएगे जो कि समय-समय पर पुस्तक मे स्पष्ट किए जाएगे।

प्रजा परिषद् के कार्यकाल मे उसके क्रिया-कलापो व आन्दोलनो को तीन भागो मे बाटा जा सकता है -

१ प्रजा परिषद् की स्थापना २ रेजगी काण्ड ३ दूधवारवा का काण्ड।

इन सबको यहा अभिलेखागार के रेकार्ड सहित व्याख्या करना उचित होगा। रेजगी काण्ड के रेकार्ड अभिलेखागार मे खोज करने पर भी उपलब्ध नही हुए हैं।

मुखबिर भेदिया और जासूस -

हर शासनकर्ता का पार्टियों मे शासन की तरफ से मुरवबिर जिसको भेदिया कहते है होता है तथा जासूस अपना अलग कार्य करते हैं। कहीं-कही पार्टीयो मे मुरवबिर प्रमुख पदो पर आसीन हो जाते है तथा आन्दोलनो के समय उसको चरम सीमा पर पहुँचा कर असफल बनाते है। आन्दोलनो के समय आन्दोलनकर्ताओं का बहुत सावधानी बर्तनी पडती है। शक होने पर मुखबिर को मार दिया जाता है या उस स्थिति पर पहुचा दिया जाता है ताकि पार्टी को कोई नुकसान न पहुच। जासूस इन मुखबिरो के जरिए सरकार को खबर देते रहते है। कहीं-कही जासूस खुद पार्टी के प्रमुख पदों पर आसीन रहते हैं। सरकार की सफलता इन्हीं पर निर्भर रहती है

बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् मे भी मुखबिरो की भरमार थी। कुछ तो पार्टी के अधिनायको मे भी थे। अभिलेखागार के रेकार्ड से जो कि आपके सामने समय-समय पर पेश किये जायेगे प्राप्त मुखबिरो की जानकारी मिलेगी। पुलिस इन मुखबिरों की सहायता लेकर राज को गोपनीय खबर देती थी

नकल चिट्ठियात औ तारीख ५-८-४२ से
१६-८-४२ तक है पत्रावली संख्या ८५
सन् १९५१ होम डिपार्टमेन्ट मे सलग्न है।

इसके साथ ही साथ आपको एक अज्ञात अज्ञात ही रहेगा का एक पत्र ठाकुर जीवराजसिंह जी हरासर वाले को हस्तलिखित दिया गया है। इस पत्र मे रामरतन कोचर ने भेदिया अज्ञात को ठाकुर साहब की नजरों से गिराने के लिए कुछ षडयत्र रचकर सफलता पाई है न अज्ञात ने पुलिस का खुशामदी टटटू रामरतन कोचर को कहा है तथा उसको पुलिस का भेदिया बताया है और रामरतन कोचर को इसमें नाकामयाब बताया है। ता ६ ८ ४२ का पत्र आपके सामने पेश है एकजीबिट-५ ता ९-८-४२ को राम रतन ने एक पत्र राजा सरकार को लिखा हे उसमें उसने पेज ७ पेरा ८ मे एक दवाईयो की दूकान जो कि श्रीलाल डागा के नाम से नाले पर स्थित है कोट दरवाजे के पास है। उसके मालिक का नाम नरसिंहदास डागा था। उसके लड़का नाम श्रीलाल डागा है। दुकान श्रीलाल डागा के नाम से है उसने लिखा है उसका भी प्राईवेट तौर पर परिषद में पूरा हाथ है और पुलिस रिपोर्ट में बहुत से आदमी प्राय आते जाते रहते हैं रतनलाल बिनानी और श्रीलाल दोनों की एक सलाह है। रात को दस बजे बाद रतनलाल बिन्नानी की दुकान पर दोनो इकटठे होते हैं और सलाह मशविरा करते हैं ।

पृष्ठ सं० १०५ ठाकुर साहब श्री जीवराजसिंहजी साहिब बहादुर
हरासर
चरणोमे नमस्कार
सेवामे सादर निवेदन है कि-
जिस बात कि मैंने भी मेरी इच्छा की उसपर आपने पानी फेरदिया.
अज्ञात लेखक मै स्टेट की कुछ सेवा करना चाहता था
आपके विचार सोचे समझे ही हल्ला करना दिया मेरे पत्र
[illegible] को S P साहब के सुपर्द करके आपने जाँचवाली
[illegible] सारे दैविसो मे लालजी के बदले के लिए हो गया
[illegible] एक ओलेलाला आदमी मेरा भेजा हुआ नहीं था
[illegible] कोशीस करते है [illegible] आपको निसकरने की
[illegible] पुलिस के खुसामदी टट्टू रामरतन
[illegible] भेद लेने की बहुत कोशीश की परन्तु
नाकामयाब रहा आपकी C I D मेरा खोज नहीं निकाल
सकती --
मैं आपका कुछ बुरा तो करता ही नहीं था
मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहता था
(खैर)
इस तरीके को आप बुरा समझते है आपका कोई पत्र था
ऐसा काम कुछ भी नहीं करूँगा जो कुछ भी हुआ उसके-
लिये माफी चाहता हूँ
आपका दास
अज्ञात अज्ञात ही रहेगा

सर्दभित कम्प्लेंट की यह फोटोस्टेट
प्रतिलिपि मेरे सामने की गई है।

रतनलाल बिन्नानी प्रजा परिषद् का एक प्रमुख सदस्य है जो कि परिषद् में बहुत बढ चढकर बाते करता है तथा बाद मे स्तीफा दे देता है। पत्र प्रतिलिपि आपके सामने पेश है

नरसिंहदास डागा श्रीलाल डागा डागा मोहल्ला भैया कुआ के पास रहने वाला है ठाकुर जसवन्तसिंह जी तथा गोवरधनलाल से इसका घनिष्ठ सबध था।

1) नई कैबिनेट के मेम्बर रामनारायणजी (प्रेसीडेन्ट) रावतमलजी (मन्त्री) गंगादासजी (कोषाध्यक्ष) पूनमचन्दजी बैद राजलदेसर (उपमन्त्री) गुट्टू सेवग श्रीलालजी दम्माणी गोपालदास दम्माणी आदि-

(2) हाई कमान्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई न पता चला हाई कमान्ड के लोग कौनसा हाई कमान्ड बहुत प्राइवेट है मेम्बरों मे उनका नाम नही है

3) जीजी साहब के पधारने पर गंगादासजी व गुट्टू तो प्रदर्शन करने के पक्ष मे थे परन्तु मन्त्री रावतमल व गोपालदास ने कहा कि उछाल लेना अपने को नही लेना है इसीलिये कोई प्रदर्शन नही हुआ जीजी-साहब बहादुर की मोटर परिषद के पास से निकली तो मेम्बरो ने भी खमा-खमा की आवाज लगाई कुल १२-१३ मेम्बर थे

4) P M साहब ने (खास) कल रावतमल को बुलाया था क्या बात हुई पता नही रावतमल यही कहता है मेरे को P M साहब ने मना किया-परन्तु मैंने साफ जवाब दे दिया कि मै अपने ध्येय को नही छोड सकता।

5) रावतमल व दाऊदयाल ने अपनी सनद जब्त होने की जो अपील करने वाले है कई वकीलो से उन्होंने वकील बनने के लिये कहा परन्तु अभी तक किसी वकील ने हाँ भरी नही भरा। कल रावतमल को G A ने बहुत समझाया कि इस काम को छोड दो तो उसने यही कहा कि मैं तो चक्की पीसने को तैयार हूँ तब G A ने कहा अच्छा तो पीलो जाओ-

6) लक्ष्मणदास व भगाराम के बीच झगड़ा हुआ है कि यह दो ओहदे राजके है आखिर महाराज के पास मामला रखके स्तीफा दे दिया अभी तक मन्जूर नहीं हुआ है

सत्यापित करिमैन्ड की यह प्रमाणित प्रतिलिपि मेरे सामने की गई है।

[signature]

दुकान दवाईयो की नाम मात्र की थी। वहा अवैध व्यापार का अड्डा था। एसव्पी० ठाकुर साहब आया जाया करते थे। डागा मौहल्ला राजनैतिक गतिविधियो का अड्डा था। मघारामजी भिक्षालाल जी वगैरह जो कि पूर्व प्रजा मण्डल के प्रमुख कार्यकर्त्ता थे वहीं रहते थे तथा लक्ष्मणदास स्वामी पेन्टर अथक के नाम से प्रख्यात था पूरा आवागमन रहता था। इसी मोहल्ले में मेरा घर है तथा वहा भी सी आई डी और वर्दीधारी पुलिस की चौकी रहती थी और एक शकरलाल पारीक इक्केवाले के यहा उनका पडाव था शकरलाल का स्थान ठीक मेरे घर के सामने था। यह शकरलाल भी पुलिस का दलाल था।

इसी मोहल्ले मे एक शकरलाल नाई की चौराहे पर दुकान थी। वह ठाकुर साहब जसवतसिंह जी पु लिस अफसर का घनि सबध वाला आदमी था। उसका भाई मोतीलाल सेठ बद्रीनाथ जी डागा का मुह लगा आदमी था।

प्रमुख मेम्बरो मे रतनलाल बिन्नाणी के विषय मे उसे क्रिया-कलापो का स्वरूप प्रगट हो ही चुका है।

पेन्टर अथक - लक्ष्मणदास स्वामी का उपनाम पेन्टर अथक है। यह एक कुशल पेन्टर थे। मघाराम जी ने जब प्र मडल की स्थापना सन् १९३६ मे की तब आप प्रजा मडल के सेक्रेटरी थे। मघारामजी के साथ इनको देश निकाला हुआ। आ करीब २ वर्ष पश्चात् बीकानेर महाराज गगासिंह जी की बिना आज्ञा के प्रवेश किया। आप पर बीकानेर सेफ्टी एक्ट के तहत मुकद चला जिसकी फाईल अभिलेखागार के प्रजा मडल के बस्ते मे है। आपकी पत्नि ने खूब जोर सोर से पैरवी की। आपकी पत्नि मृत्यु हो गई। उसके बाद के कोई भी कागजात अभिलेखागार मे प्राप्त नहीं हुए। मेने अभिलेखागार के बाचनालय मे खोजबीन व इनके मन का बदलाव कब हुआ तथा तात्कालीन राज्य से कब किस तरह का सबध हुआ कोई रेकार्ड नही है।

आप प्रजा परिषद् केसदस्य बने। अथक साहब पुराने प्रजा मडल के कार्यकर्त्ता होने के नाते उनका सीनियर मेम्बरो मे स्थ था। प मघारामजी को इनकेक्रियाकलापो मे शुरु से ही शक था तथा वह इनसे सतर्क रहते थे। आगे इनके विषय मे जानकारी जायेगी। वर्तमान मे एक अभिलेखागार से प्राप्त रेकार्ड आपके सामने रखा जा रहा है। इसे रेकार्ड से इनके क्रिया-कलापो का खुल हो जायेगा। परिषद् के कागजात जब्त होने पर कार्यवाही का किस तरह सचालन किया जाए इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से सचा हेतु श्री गगादास जी कौशिक ने लक्ष्मणदास स्वामी को पत्र दिया था उसमे बचे हुए सदस्यो की सूचि है। यह पत्र अत्यन्त गोपनीय तथा आन्दोलन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विश्वसनीय मानकर लक्ष्मणदास स्वामी को पत्र व सूचि भेज परन्तु यह गोपनीय तथ्य पुलिस के हाथ किस तरह लग गया जिसकी नकल नारायणदास करके लाया है। यह ता १५ ८ ४२ पुलिस के हाथ पहुच गया और अभिलेखागार के यहा से प्राप्त रेकार्ड की नकल अध्ययनार्य पेश है एक्जीबिट

इतना गोपनीय समाचार पुलिस के हाथ कैसे पहुचगया जो कि भविष्य मे आन्दोलन की जान थी पूरा ही सदेहास्पद विषय श्री रावतमल व श्री दाऊदयाल को पडित मघाराम जी व श्री लक्ष्मणदास के प्रति सन्देह है उनकी समझ मे ये दोनो तात्कालीन र के आदमी है 'बीकानेर ता ९ ८ ४२ दास रतन कोचर की रिपोर्ट से मालूम होता है। उन्होंने १५ पेराग्राफ मे यह रिपोर्ट दी है। रिपो सारी आपके सामने पेश है। इस रिपोर्ट मे किसको किस पर शक है तथा कौन क्या करता है और किसकी जासूसी करता है खुला हो जायगा। एक्जीबिट-८ ता १७ ८ ४२ श्रीदास रतन कोचर की रिपोर्ट में रावतमल का स्तीफा देना क्योंकि वह माफी माग चुक गुटड किसन गोपाल सेवग महाराज का डिक्टेटर बनने से साफ इन्कार करना तथा दूसरो का भूमिगत होना एक बार बीकानेर रा का आन्दोलन को दबाने में सफल होना माना जाता है। ता १७ ८ ४२ की रिपोर्ट आपके सामने पेश है। एक्जीबिट-८

ये सारी चीदिठयाँ जो ता ५ ८ ४२ से १७ ८ ४२ तक है पत्रावली सख्या ८४ सन् १९४१ होम डिपार्टमेट में सलग्न है। स प्रतिलिपि की मोहर पर निर्देशक साहब के हस्ताक्षर हैं तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार की मोहर लगी हुई है चिट्ठी आपके साम पेश है -

पैरा। मे गेवरचद तवोली को बम्बई न जाने के लिए श्रीगगादास जी तथा गुटड महाराज ने बहुत समझाया पर वह चला गया

पैरा ३ में गोपालदास दम्माणी तथा जीवनलाल डागा का कार्यालय में गगादास व गुटड महाराज से वार्तालाप है।

पेरा ४ में ईश्वरदयाल जी वकील से आगे आने के लिए पेशकेश है पर वे इन्कार करते हैं।

ता ७ ८ ४२ की दास रतन कोचर की चिटठी मे मुख्य बाते पेरा २ मे रामनारायणजी की गिरफ्तारी के बाद शीतलप्रसाद जी आगे आने को तैयार है। पेरा ४ मे गगादास जी सारे कागजा को धन्धे लगा चुके है है। सिर्फ अलमारी इनके मामाजी के यहा है उसको भी ठीक कर देगे। पेरा ७ मे मोहनलाल खत्री स्तीफा देने को तैयार है इत्यादि पत्र सारे आपके सामने पेश है ता ९ ८ ४२ का दास रतन कोचर के पैरा १५ मे जीवनलाल डागा को प्राय सब सदस्यो पर शक पैदा हो गया और उसने कहा कि वह २-३ दिन इन्तजार करेगा उसके बाद स्वय १०-१५ सदस्यो के साथ सत्याग्रह करेगा। इसप्रकार दास रतन कोचर की सारी चिटिठयॉ से प्रगट होता है कि सदस्यो मेप्राय कौन कौन अपने किस ताक मे थे तथा उनकी गुप्त कार्यवाही कुछ दूसरी ही थी।

ता १० ८ ४२ व ११ ८ ४२ को सारा पत्र निम्न प्रकार ह -

११ ८ ४२ के पत्र अध्ययानार्थ पेश है एक्जीबिट-

१ कल दोपहर के बाद समापति मत्री कोषाध्यक्ष जब पुलिस हिरासत मे ले लिये गये तब कुछ कार्यकर्ता खादी भण्डार मे इकटठे हुए और गुटड सेवग लक्ष्मणदास गोपालदास ने लालगढ आई जी पी दफ्तर और इधर उदर दौड धूप की कोई पता नहीं लगा बाद मे दाऊदयाल ने आकर कहा सभापति जी तो लालगढ थाने मे है।

२ श्रीराम आचार्य को कुछ सुबा हो गया था कि परिषद् की तलासी ली जावेगी श्रीराम व गुटड आये और ताले की दूसरी चाबी लगाने की कोशिश की ताला खुला नहीं। इतने मे रामसिंह जी गगादास को लेकर आ गये और तलासी लेली और बोर्ड वगैरह साथ ले गये।

३ इनको सुबा था कि तीनो कार्यकर्ताओं को आज की गाडी से रियासत से बाहर कर दिया जायगा उसकी जाच के लिये चम्पालाल उपाध्याय व किसनगोपाल गुरडे को स्टेशन पर तैनात किया।

४ प्रजा परिषद् का दूसरा बोर्ड आज लग जावेगा अबकी दफा उसमे ऊपर जय जगल धर बादशाह लिखा जावेगा।

५ आज साम को ५ बजे कार्यकत्ताओं का चुनाव करने के लिये मेम्बरो की मिटिग होगी स्थान निश्चित नही हुआ सबको परिषद मे एकत्रित होने के लिये कहा गया अगर प्राइवेट करेगे तो एक-एक करके जो स्थान निश्चित होगा वहा चले जावेगे

६ सभापति श्रीराम आचार्य बनेगा ऐसी आशा है बाकी गुटड सेवग शीतल प्रसाद रतनलाल बिन्नाणी जीवणलाल डागा गोपालदास दम्माणी आदि सभापति बनने के लिये तैयार है।

७ सभापति बनने के बाद ही फौरन से पब्लिक व्याख्यान देना शुरू कर दिया जावेगा बिगर काम किये मुफ्त मे गिरपृतार मत होवो।

८ जीवणलाल डागा ने कहा कि जेल जाऊगा बाकी कुछ करके जाउगा।

९ गुटड सेवग ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नही सबसे पहले मै हर तरह से तकलीफ उठाने के लिये तैयार हूँ।

१० गोपालदास नारायणदास को देशनोक भेजने का विचार था कि शायद उनको आगे ले जाकर गाडी पर चढा दे। लेकिन गगादास जब आ गया और उसने कहा कि हमारे पर सिर्फ मौहल्ले से बाहर जाने की पाबन्दी लगा दी है तब कोई देशनोक नहीं गया

११ हनुमानदास रोडा खत्री भीनासर का है जो मैम्बर बना हुआ है कल आया था उसने कहा मुझे कोई सूचना नहीं मिली अब बराबर आता रहूगा।

१२ रतनलाल बिन्नाणी ने कहा कि मैं अपने परिवार वालो से सबसे मिलकर आया हू सबको कह दिया है कि मेरी कोई जमानत मत देना न मेरी कोई पैरवी करना मुझे तो अब जैल जाना है।

१३ परिषद् में कल शाम को १८-१९ मेम्बर थे सी आई डी वालो ने नाम सब के नोट कर लिया था

-) जो रामलाल ढागा ने कहा कि जेल जाऊंगा बाकी कुछ करके जाऊंगा
(९) कुट्टू मिश्रा ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं हरतरह से तकलीफ उठाने के लिये तैयार हूँ
(१०) गोपालदास नारायणदास को इस्तीफा भेजने का विचार था कि साहब उनको आगे लेजाकर गाडी पर चढाते हैं लेकिन गंगादास- जब आगया और उसने कहा कि हमारे पर सिर्फ मोहल्ले से बाहर जाने की पाबंदी लगाई है तब कोई इस्तीफा नहीं आया।
(११) हनुमानदास राठी रेवची आगासर का है जो मेम्बर बना हुआ है कल आयाथा उसने कहा मुझे कोई सूचना नहीं मिली अब बराबर आता रहूंगा।
(१२) रतनलाल बिनाणी ने कहा कि मैं अपने परिवार वालोंसे सबसे मिलकर आया हूँ सबको कहदिया है कि मेरी कोई जमानत मत देना न मेरी कोई पैरवी करना मुझे तो अब जेल जाना है
(13) परिषद के कल शामको १८-१९ मेम्बर प० C.I.D. वालोंने नामोंका नोट करलियाथा
(१४) श्रीराम आचार्य ने कहा कि परिषद में जो रुपया लगेगा अब मेरा लगेगा।
(१५) हरिदत्त पन्ना ने कहा कि अब परिषद का कोई नहीं रुक सकता। हरिकुमार के हरिदत्त पन्ना खादी भंडार वाला जरूर है उसकी सलाह से कल सब काम हुआ
(१६) गिरफ्तारी के बाद सभापति व मंत्री- कोषाध्यक्ष किस किसको बनाया जावे उसकी लिस्ट बन चुकी है किसके बाद किसका नम्बर आवेगा आजकी मीटिंग में बतला दिया जावेगा

(९) ऐसा हो तो विदेशी मेडार के पीछे उतारा जावे। (१०) पीछे से मोहनलाल बांचडू व गोपालदास मजाले इसी पीछे से पांच आदमी थे

१६) कल बंसीलाल कोचर जिसके विदेशी मेडार की इन्क्वायरी थी उससे मैने कहा कि मोहनलाल गुमारा हो सकता है मोहनलाल को समझाओ की कोचरों को क्यों बदनाम करवाते हो तो बंसीलालने कहा अभी क्या हुआ है बीकानेर के आग लगा देंगे

मा.प. दारा
कुंवर सिंह

सर्वाधिक अभिलेख की यह मानाधिकृत प्रतिलिपि मेरे सामने की गई है।

ता. २२-८-४२

१) नीरसदास को साथ भेज रहा हूं जहां तक हो सके अरविंद रखियेगा रिकार्ड के बदले ही भी जावे लेकिन जाहिर नहीं होना चाहिये

२) कुलशामेंजा गोपालदास श्रीराम नरसिंहदास लक्ष्मणदास आदि ५-६ मेम्बर रहते हुवे श्रीरामआचारज को डिक्टेटर बना दिया गया है अब आपना सत्याग्रह भी बगैरह नहीं बनेगी गिरफ्तारी के बाद डिक्टेटर बनते जावेंगे

३) परिषद के स्थान के आज बोर्ड फिर से लगा दिया जावेगा

४) जीवनलाल डागा का दिल परिषद के बाद कुछ से फिर गया है कुलजी साथ और आदमियों ने दिया उससे उसका दिल फिर गया है आदर ही परिषद

१४ श्रीराम आचार्य ने कहा कि परिषद् मे जो खर्चा लगेगा अब मेरा लगेगा।

१५ देवीदत पन्त ने कहा कि अब परिषद् को कोई नहीं कुचल सकता। हाईकमान से देवीदत्त पन्त खादी भण्डार वाला जरूर है उसकी सलाह से कल सब काम हुवा।

१६ गिरफ्तारी के बाद सभापति व मत्री कोषाध्यक्ष किस-किसको बनाया जावे उनकी लिस्ट बन चुकी है। किसके बाद किसका नम्बर आवेगा आज की मिटिंग मे बतला दिया जावेगा।

१७ कल दोपहर मे स्वदेशी भण्डार मे फोटू उतारा गया था फोटू मे सोहनलाल कोचर व गोपालदास दम्माणी इसी फोटू में पाच आदमी थे।

१८ कल बशीलाल कोचर जिसने स्वदेशी भण्डार की हुण्डी बेची थी उससे मैने कहा कि सोहनलाल तुम्हारा दोस्त है। सोहनलाल को समझाओ कि कोचरो को क्यो बदनाम करवाते हो तो बशीलाल ने कहा अभी क्या हुआ है बीकानेर में लाय लगा देग

ह० = दास कोचर रतन

मैन ता ८ ४ ९१ को अभिलेखागार के डायरेक्टर साहब को कुछ गोपनीय रियोर्ट की प्रतिया दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। ता ११ ४ ९१ राज अभि अधि/९१/६५ निर्देशक साहब ने मुझे प्रतिलिपि प्रदान की। यह गोपनीय प्रतियॉ पुलिस गुप्तचर विभाग द्वारा प्रदत्त तत्कालीन बीकानेर गवर्नमेट को प्रजापरिषद की कार्यवाही हेतु दी गई है। हर प्रमुख कार्यकर्ता के पीछे वर्दीधारी पुलि व गुप्तचर विभाग के पुलिस के आदमी रहते थे। निर्देशक साहब के फारवडिग पत्र की प्रतिलिपि पेश है -

श्री गगादास कौशिक सग्रह फाईल न १५ सदस्यो की सूचि अध्ययनार्थ प्रस्तुत है एक्जीबिट-७ यही लिस्ट पेन्टर अथक व गिरफ्तारियों के बाद कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गोपनीय हिसाब से भेजी गई तथा वह पुलिस को पहुच गई। पूर्व इसका वर्णन हो चुका है। इसमें उस समय तक किन-किन लोगों ने माफी माग ली है व बचे हुए लोगो को आगे क्या करना है। इ रिपोर्ट मे दो बात सामने आती है। परिषद् के दफ्तर मे कौन-कौन व्यक्ति इकटठे हुए २ श्री रावतमल तथा श्री दाऊदयाल आचा अर्यीनवीस का लाईसेस जब्त होने के विषय मे वार्तालाप है। ता ३१ ७ ४२ का कार्यक्रम है तथा १ ८ ४२ को पेश किया गया अध्ययनार्थ नकल पेश है -

ता ७ ८ ४२ की रिपोर्ट मे पेश है कि दफ्तर मे कौन इकटठे हुए तथा रघुवरदयाल जी के निष्कासन के बाद रामनाराय आचार्य को सभापति व रावतमल पारीक को मत्री बनाया गया है।

ता ७ ८ ४२ की रिपोर्ट मे दफ्तर मे कौन-कौन आये तथा यह सलाह मशविरा हुआ कि उनको कोई बात बतायी नहीं जाती इस रिपार्ट में पुलिस वालाँ ने सूचना दी है कि शहर में अफवाह है कि श्री जी साहब को रघुवरदयाल जी के निष्कासन के विरोध स्वरूष काला झण्डा दिखाया गया।

ता ७ ८ ४२ की एक और पुलिस रिपोर्ट है जिसकी प्रतिलिपि नहीं दी जा रही है उसका सार दिया जा रहाहै -

सर्वश्री रामनारायण जी आचार्य रावतमल जी पारीक गगादास जी सेवक व श्रीराम जी आचार्य इन्होने सलाह मशविरा किया कि महाराजा साहब जब पधारेगे तो इनको काला झण्डा दिखाया जाय या तिरगा झण्डा। श्री रामनारायण जी व रावतमल जी के विचार से तिरगा झण्डा था।

सध्या ५ बजे सर्वश्री रावतमल जी गोपाल दास दम्माणी व जीवणलाल डागा इत्यादि परिषद् के दफ्तर मे इकटठे हुए। दिगर इतला पर यह खबर है कि शीतल प्रसाद जी की पत्नि श्री जी साहब के सामने नारे लगाएगी। इसकी सत्य प्रतिलिपि पेश करने की आवश्यकता नहीं।

न ४९ ता ९ ८ ४२ को महाराजा साहब की सवारी लक्ष्मीनाथ जी के मदिर दर्शन करने पधारी। इधर रामनारायण जी आचार्य वगगादास जी सेवक रावतमल जी पारीक कोलालगढ ले गए। देवीदत्त पत दाऊदयाल जी इत्यादि उनकी वापसी का इन्तजार कर रहे थे। इनको खोजने श्रीराम जी आचार्य रामनारायण के मकान पर गए तथा चम्पालाल जी उपाध्याय स्टेशन पर खोजने गए। श्री गगादास जी सेवग दफ्तर मे गए। पुलिस उनके साथ थी। दफ्तर में बैठे श्री गोपालदास जी दम्माणी जीवणलाल डागा सोहनलाल कोचर इत्यादि सारे आदमी चौकी पर आ गए और पुलिस ने तलाशी ली। उसके बाद गगादास सेवग तो ताग में बैठकर रवाना हुआ। महाराजा की सवारी देशनोक से पधारी। गुटड सेवग ने नारा लगाना चाहा परन्तु सोहनलाल कोचर ने मना कर दिया। रेल्वे फाटक के पास गगादास आया। श्री देवीदत्त पन्त ने गगादास जी से पूछा क्या आपको गिरफ्तार किया उसने 'नहीं कहा। उसके बाद रात १० बजे गगादास जी सेवग शायद पुलिस लेन से आये और पन्त जी के सारे हालात कहे। साढे बारह बजे रात को गगादास जी दाऊजी के मदिर के पास धर्मचद एच सी तथा लक्ष्मीनारायण एल सी से मिले तथा अपना प्रण दोहराया। 'सरकार चाहे कितनी ही सेख्ती कर हम पीछे नहीं रहेंगे ।

फिर लिखा है कि दिगर इतला यह मालूम हुआ है कि प्रजा परिषद् का चुनाव हो गया है। न ५० ता ९ ८ ४२ के कुछ अश आपके सामने पेश है -

ता १० ८ ४२ पुलिस ने बीकानेर राज्य को सूचित किया जीवणमल डागा गोपालदास दम्माणी जुलुस निकालेगे

ता १० ८ ४२ सारे मैम्बरों को जिन्होंने माफी नहीं मागी थी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने वाकायदा पुलिस की निगरानी के साथ लालगढ पेलेस मे बुलाया गया उसमे श्री जीवनलाल डागा को चार सिपाही व एक हवलदार के घेरे में घर से इक्के पर चढा कर बुलाया गया। प्रमाण स्वरूप आपके सामने निर्देशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर का अधि/राज/अभी/८७/१२० ता १६ १० ८७ पत्र पेश है एक्जीबिट-१२

मेरी पेशी मान्धातासिंह जी प्राईम मिनिस्टर साहब के सामने हुई तथा पीछे पर्दे में महाराजा साहब बैठे थे उन्होंने मुझस कुछ निम्नलिखित प्रश्न

किए -

नाम - जीवनलाल डागा पुत्र बृजगोपाल जी

आना - झरिया से (धनबाद) मै यहा का निवासी हूँ उम्र १८ साल पूरा। प्रजा परिषद् का सदस्य हूँ। अग्रेजों भारत छोडो का समर्थक हूँ

प्रश्न क्या तुम महाराजा साहब के शासन के खिलाफ हो ?

उत्तर नहीं। मै अग्रेजो को भारत से निकालना चाहता हूँ।

प्रश्न हवाट डूयूमीन बाई रेसपोसिबल गवर्नमेट (उत्तरदाथी शासनका क्या अर्थ है)

उत्तर बात को टालते हुए मै सिर्फ अग्रेजों को भारत से निकालना चाहता हूँ। आपकी पुलिस के पास मेरा पिछला रिकॉर्ड है।

प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम सेठ छनगलाल जी के दोहिते हो ? जो महाराजा साहब के अभिन्न अग थे। मैंने कहा महाराजा साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है परतु अँग्रेजी राज से नफरत है और राजनीति में आगे तथा पीछे होता ही रहता है।

प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा क्या तुम जानते हो कि ये सब आदमी निम्न श्रेणी के हैं।

मैंने कहा मैं इन लोगो को पूरी तरह से नही जानता।

प्राईम मिनिस्टर - तो तुम डटे रहोगे। तुमको एक दिन पछताना पडेगा।

32-2-85=1 00,000 F

Gen. No 6

राजस्थान सरकार

EX 12

सेवा में—

निदेशक,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार,
बीकानेर ।

प्रति—

श्री जीवन लाल डागा,
मैया कुआ,
बीकानेर (राज०)

क्रमांक— अधि।राज-अभि।८७। 120

दिनांक 16.10.87

विषय – श्री जीवनलाल डागा द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के विभिन्न कार्यों की सूचना ।

संदर्भ – आपका पत्र दिनांक ३-१०-८७, १३-१०-८७ ।

महोदय,

आपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में जो प्रार्थना- पत्र आपने अपने कांग्रेस आन्दोलन से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया था उस सम्बन्ध में हमें निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है ।

१) सन् १९४२ में आप (श्री जीवन लाल डागा) बीकानेर राज्य से प्रजा परिषद से सम्बन्धित थे इसकी पुष्टि विभाग के श्री गंगादास कौशिक ग्रुप से होती है इसी के साथ १०-८-४२ को आपको (श्री जीवन लाल डागा) बीकानेर एग्जीक्यूटिव कौन्सिल द्वारा बुलाये जाने का उल्लेख मिलता है इसकी पुष्टि विभाग के हिन्दुस्तान टाईम्स की कटिंग से होती है ।

२। सन् १९४३ में २६ जनवरी को बीकानेर में जो स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया था उसमें आप लोगों के गिरफ्तार होने का उल्लेख मिलता है । (वीर अर्जुन की ३०-१-४३ की कटिंग पत्रावली से)

३) सन् १९४५ में नागौर में जो पालिटिकल कान्फरेन्स हुई उसमें अन्य कांग्रेस जनों के साथ में आप (श्री जीवन लाल डागा) के द्वारा भी भाग लेने का उल्लेख मिलता है इसकी पुष्टि बीकानेर होम विभाग की पत्रावली से होती है । इन सभी सूचना की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न है ।

गोवरदनलाल ने लक्ष्मीनारायण जो कि उस समय पुलिस अफसर था चार सिपाहियाँ के साथ ड्यूटी पर लगा दिया। ये सिपाही मेरे घर के बाहर पहरा देते थे तथा मेरे को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। गोवरधनलाल जी दो बार जाच केलिए आते थे।

मैरा मकान एक पत्थर की करीब चार तल्ले की हवेली है। सडक के एक छोर से दूसरे छोर तक मकान फैला हुआ है। इसके करीब छ दरवाजे हैं। पुलिस की पूरी टुकडी बडी मुस्तैदी से पिछले कुछ महीनों से तैनात थी। लक्ष्मीनारायण इनका ऑफिसर था। प्रमुख सदस्यों ने मान्धातासिंह जी के आगे माफी माग ली जिसका कि पुख्ता उदाहरण आगे दिया जायेगा।

गोपाल दास दामाणी सोहनलाल कोचर देवीदत पत और जीवनलाल डागा अर्थात् मैंने माफी नहीं मागी और पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार भूमिगत हो गए।

ता १३ ८ ४२ थी सी आई डी रिपोर्ट आपके सामने पेश है। उसमें लिखा है कि जीवनलाल डागा माफी न मागने के कारण से प्रजा परिषद् के काम से कलकत्ता। साढे चार सध्या की गाडी से चला गया । परन्तु दास रतन कोचर के रिपोर्ट में मुझे ता १ तक यहा दिखाया गया है। रिपोट पेश है।

मैनें जब समझा कि प्राय सारों ने माफी माग ली तब भूमिगत हो जाना ही अच्छा समझा। कुछ दिन पश्चात् मैं झरिया अप पिता के पास चला गया जिसका कि पुलिस को कुछ पता न लगा। गोपाल लाल दम्माणी के घर पर सख्त पहरा था व उस समय घ से बाहर निकलने मे बिल्कुल असमर्थ था। श्री सोहनलाल कोचर से सबध टूट चुका था इसलिए कुछ पता नहीं। मैं कुछ दिन पश्चा परिवार वालों के दबाव से बीकानेर रहने में असमर्थ था। पारिवारिक दबाव महाराजा के तरफ था तथा वह सिर झुकवाना चाहते थे मेरा ननिहाल तो सारा राज भक्त था। मुझे यहा से पिता के पास जाने को बाध्य होना पडा। मैं झरिया चला गया।

झरिया जिला मानभूम बिहार में है तथा यहा कोयला की खदाने हैं। यहा आन्दोलन जोरो पर था। मेरे कुछ पुराने साथी इ आन्दोलन मे सक्रिय भाग ले रहे थे। मदनलाल अग्रवाल प्रसिद्ध सेठ अर्जुन अग्रवाल कोलयारी ऑनर्स का भतीजा है तथा नन्दला अग्रवाल उसका चचेरा भाई है तथा और कुछ साथी इस अन्दोलन में भाग ले रहे थे। ये सारे साथी प्राय डी ए वी स्कूल झरिया मे साथ पढते थे। झरिया की पोस्ट ऑफिस जला दी गई तथा झरिया रेल लाईन तोड दी गई। उस समय धनबाद में अग्रजों की फौ का हैड क्वार्टर था। हम लोग उनको टॉमी कहते थे। हम लोग भाग गए। अगुवों में रामनारायण शर्मा बैजनाथ तथा धनगिरि बाबा थ इन लोगो को गिरफतार कर लिया ग्या और आजादी के बाद रामनारायण शर्मा धनबाद का एम पी बना।

दूसरे दिन हम लोग कतरास गए। कतरास के पास चास रोड थी। उसके इदे गिर्द आदिवासियों का गाव था हमने उनको आन्दोलन के पक्ष में खडा किया तथा तीर कमान लैस एक जुलूस निकाली। सरकार को इसका पता चल गया तथा 'इब्राहिम' नामक दारोगा सब इन्सपेक्टर वहा अग्रेजो की फौज लेकर पहुच गया तथा हमारा सारा प्रोग्राम असफल हो गया।

अगले दिन हम लोगों ने झरिया से ५ मील दूर पाथरड़ीह है गए। यहा अभी सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना है। उस समय वहा केवल जगल था तथा आदिवासी रहते थे जुलूस निकाली। पुलिस को पता चल गया। वहा पुलिस पहुच गयी। हम लोगों को भागना पडा। मदन अग्रवाला गिरफ्तार हो गया तथा बाकी के नामों का भी पुलिस को पता चल गया। मुझे पुरूलिया भागना पडा। क्योंकि मेरे पिता परेशान थे तथामुझे झरिया मे रखना नहीं चाहते थे। मेरे पिता का गवर्नमेन्ट के आफिसरों से अच्छा गवर्नमेंट सबध था। उनको वार्निंग दी गई तथा मैं गोलकडीह कोलयारी में रहता था पुलिस की सर्च आगई। मुझे पुरूलिया वाले भी रखना नहीं चाहते थे इसलिए मुझे अक्टूबर महीने मे दुर्गा पूजा के समय बीकानेर आना पडा। ये सारा समय अगस्त १ के बाद का है। मेरे पिता। जब पता चला कि मैं बीकानेर पहुच गया हू तो उन्होंने अपने रिश्तेदार तथा मेरी मा को कतई झरिया न भेजने की चिटठी लिखी।

मैं बीकानेर पहुचा। पुलिस का घर के बाहर सख्त पहरा था तथा बीकानेर की गाडी में बैठते ही पुलिस की सख्त निगरानी हो ई। सिवाय पोस्टरबाजी के बाकी के क्रिया-कलाप शून्य सा ही रहा। मैं बाहर पुलिस द्वारा नहीं निकलने दिया जाता था फिर भी स्टरबाजी होती थी। मेरे घर के सामने एक कोटडी थी उसमें शकर नामक एक इक्केवाला रहता था। सी आई डी पुलिस का पूरा डाव इस जगह था तथा घर के बाहर वर्दीधारी पुलिस तैनात थी थोडी सी सुगबुगाहट के साथ पुलिस की टोली हाजिर हो जाती थी। क्ष्मीनारायण जी पुलिस अफसर के आधीन यह टोली थी तथा दिन-रात उनका पहरा था। पोस्रबाजी से पुलिस परेशान थी।

मघाराम जी डागा चौक में रहते थे तथा प मिक्षालाल जी बोहरा मेरे घर के सामने एक छोटी सी दर्जी की दुकान करते थे। डेत मिक्षालाल का दूसरा प्रमुख कार्य सगठन करना था तथा ये लाठी सिखाया करते थे। मघारामजी के विषय में पहले लिखा जा का है। मघारामजी से हमारा पारिवारिक सबध था। इसी समय हम लोग मघारामजी के सम्पर्क में आए राजनैतिक क्रिया-कलाप त रूप से चलता रहता था। सारे मघारामजी के पुराने साथी मिक्षालाल जी की दुकान पर येनकेन प्रकारेन इकटठे हो जाते थे तथा त रूप से गतिविधियाँ चलती रहती थी।

२० जनवरी १९४३ में डागा चौक स्थित मघारामजी के घर मे यह तय हुआ कि २६ जनवरी १९४३ को स्वतन्त्रता दिवस नाया जाय। मघाराम जी ने यह सूचना अपने साथियो के साथ गुप्त रूप से सबको भिजवा दी। पोस्टर साट दिए गए। पुलिस हरकत आयी। इतनी हैरानी थी कि सख्त निगरानी के बावाजूद यह पोस्टरबाजी कैसे होती है ? हम लोग किस तरह पुलिस को चकमा देते । उसका तो पूरा हाल पुलिस आफिसर लक्ष्मीनारायणजी पन्नालाल जी वगैरह ही दे सकते हैं। लक्ष्मीनारायण जी जिसका कि हमें लोगों द्वारा उपनाम 'शनिश्चर' रखा गया था मेरे को (जीवनलाल डागा) दोपहर में घर के बाहर बुलाया और पूछा कि 'क्या आप लोग २६ जनवरी मनाने जा रहे हैं। मेरा उत्तर हा में था। पुलिस का सख्त पहरा विशेष रूप से बैठा दिया गया। २५ जनवरी १९४३ की रात को खुलकर पोस्टरबाजी हुई तथा पुलिस की सारे मोहल्लों मे डयूटी पूरी भाग-दौड रही। हिन्दुस्तान टाईमे' की कटिंग अभिलेखागार में है उसकी अग्रेजी का अनुवाद हिन्दी मे निम्न प्रकार होता है -

'पिछले चार दिन पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद श्री लक्ष्मीनाथ जी मदिर के आहाते में २६ जनवरी सुबह मनायी गयी। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा मीटिंग भी हुई सबसे ज्यादा शोमनीय बात औरतों का इस पवित्र अवसर पर भाग लेना है। सारे शहर में पुलिस की टूकडी बैठायी हुई थी। सुबह नौ बजे तक पाच आदमियों की गिरफ्तारी हुई श्री मघाराम जी मिक्षालाल जी श्री पन्नालाल जी राठी रामनारायण शर्मा व श्री जीवणलाल डागा। लक्ष्मीनाथजी मदिर में सिर्फ चार जनों की गिरफ्तारी हुई।

सुबह करीब आठ बजे लक्ष्मीनारायणजी व पुलिस की टुकडी जो कि मेरे घर के बाहर तैनात थी घर के अन्दर प्रवेश किया। मेरे कमरे की तलाशी ली और तीन राष्ट्रीय झण्डों की बरामदगी करते हुए मुझे गिरफतार कर लिया। मेरा प्रोग्राम सुबह नौ बजे झण्डा लेकर जुलस निकालने का था। अध्ययनार्थ अभिलेखागार का रिकॉर्ड पेश है

pe. 1e l)

the 2nd ... ... , 5

Arrests in Bikaner

In spite of strict vigilance by the Police for the last four days the "Independence Day" was observed in Bikaner on January 26. Ladies also took part in the national festival which was a novel thing. In the morning respectful salutation was offered to the national flag in the temple of Shri Lakshminath. A meeting had been arranged in the evening, but the Police was posted at every house and at 9 a m five ... ... arrested.

Hearing of the case of ...

... opel in rc ...

... r ... oyal i ...

मुझे गिरफ्तार करके इक्के पर बैठाकर ढढों की कोटडी जहा स्पेशल सी आई डी का दफ्तर था ले जाया गया। मैं उस वक्त पूरी बीकानेर की गलियों से वाकिफ नहीं था। एक मुसलमान थानेदार एस आई की वह नियुक्ति कर दी एई। सारे दिन वहा रख गया। दूसरे चार आदमियों को कहा ले जाया गया मुझे पता नहीं। सब को अलग-अलग रखा गया। रात को मुझे पर बैठाकर लाईन पुलिस ले जाया गया तथा वहा एक कोटरी में बन्द कर दिया गया।

पडित मघारामजी प मिक्षालाल जी व श्री पन्नालाल राठी को कोतवाली में बद कर दिया गया। आई जी दिवानचद जी तथा डी आई जी गोवरधनलाल जी ने कोतवाली पहुँच कर तीनों से जबरदस्त पुछताछ की तथा असर कुछ नहीं होने पर वहा से चले गए। बाद में श्री पन्नालाल राठी को लाईन पुलिस ले गए जिसका कि मेरे को पता नहीं चला। पडित मघाराम जी व प मिक्षालाल जी को पाच - छ दिन हिरासत में रखने के बाद श्री मनोहर लाल जी नाजिम के सामने पेश किया गया तथा हथकडी डालकर जेल में डाल दिया गया और उनको सिर्फ दो घण्टे के लिए बाहर निकलने दिया जाता था।

पडित मघारामजी प मिशालाल ज व श्री पन्नालाल राठी को कोतवाली मे बद कर दिया गया। आई जी दीवानचद ज तथा डी आई जी गोवरधनलाल जी ने कोतवाली पहुच कर तीनों से जबरदस्त पूछताछ की तथा असर कुछ नहीं होने पर वहा से चले गए। बाद में श्री पन्नालाल राठी को लाईन पुलिस ले गए जिसका कि मेरे को पता नहीं चला। पडित मघाराम जी व प बिक्षालाल जी को पाच छ दिन हिरासत में रखने के बाद श्री मनोहर लाल जी नाजिम के सामने पेश किया गया तथा हथकडी डालकर जेल में डाल दिया गया और उनको सिर्फ दो घण्टे के लिए बाहर निकलने दिया जाता था।

इधर लाईन पुलिस मे मेरे व श्री पन्नालाल राठी को भी इसी तरह अलग-अलग कोठरी में रखा गया। दोनों को एक दूसरे का पता नहीं था। बडी कडी आवाज मे पूछा-ताछी करते थे। मुझे खाना दिया गया। सूखी रोटी व प्याज-लहसुन मिली दाल को नहीं रवा सकता था। खाना बन्द कर दिया लाईन पुलिस मे हलचल मच गई। ता ३० १ ४३ को सुबह गोवरधनलाल जी आए। आपने पूछा कि खाना क्यों नहीं खाते हो ? मैने कहा मै सूखी रोटी व प्याज लहसून का दाल नहीं खा सकता। आप आज तीन दिन के बाद समालने आए हो। गोवरधनलाल जीने रसोडे मे हुक्म दिया कि इनको पतली रोटी तथा एक छटाक घी व बिना प्याज लहसुन की दाल दिया करो।

पन्नालाल जी राठी को मेरे सामने लाए। मैंने उन्हे कहा कि पन्नालाल जी का हम लोगो के साथ कोई सबध नहीं है। यह मघाराम जी के चक्कर में आ गए। उनको अलग ले जाया गया तथा मेंरी समझ मे उन्हे कुछ शर्त के साथ छोड दिया गया। मेरे साथ व्यवहार में पुलिस वालों की कुछ नरमी आई।

कुछ दिनो बाद महाराजा गगासिंह जी का देहान्त हो गया। सार्दुलसिंह जी गद्दी आ बैठे। सर्वश्री रघुवरदयाल जी गगादास जी व दाऊदयाल जी को महाराजा श्री सार्दुलसिंह जी के सामने पेश करके उन्हेछोड दिया गया। शर्ते क्या थी ? मुझे मालूम नहीं। परन्त कुछ शर्त हो सकती है। प० भिक्षालाआल जी की एक फाईल अमिलेखागार मे रखी हुई है न ११९२/८१५ एस बी जो कि नकल पत्र सख्या ११२ पत्रावली सख्या ३ सन् १४३ होम डिपार्टमेन्ट की है। बीकानेर जेल मे भिक्षालाल जी के बयान लिए गए है। पडित भिक्षालाल जी के बयान का सार इस प्रकार है - 'मै भिक्षालाल इन लोगों का १९३६ प्रजा मडल के समय का साथी हूँ। अगर साथियों का साथ नहीं देता तो वे मुझे गद्दार समझते हैं। मुझे बुलाने पर साथ देना पडता है।

मेने फाईल की नकल डायरेकटर साहब से मागी परन्तु अभिलेखागार ने देने से इन्कार कर दिया। फाईल मे भिक्षालाल जी १० अप्रेल १९४३ खडवा प्रस्थानें के समय-मैं तथा गेवरचद तम्बोली उसको स्टेशन छोडने गए। फाईल सख्या ११९२/८१५ ता १२ ४ ४३ कनफीडेन्सल में एक रिपोर्ट पेश है। अतएव हमे उस चिद्‌ठी की नकल दी गई।

भिक्षालाल जी की इस फाइल में माफी लिखी हुई है तथा पुलिस के जो लिखित टिप्पणी है वह बडी दर्दनाक है। पुलिस की टिप्पणी मे इनको एक अर्द्धकुशल दर्जी बताया गया है तथा बहुत गरीब अवस्था मे रहने वाला लिखा गया है। बीकानेर सरकार को इन पर कुछ नरमी बरतने की सिफारिश की गई है।

भिक्षालाल जी एक बहादुर कर्मठ कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। इन्होने भविष्य मे अपनी अवस्था की परवाह न करते हुए जन जागृति करने मे किस तरह का सहयोग दिया समय-समय पर विवरण दिया जायेगा।

पडित मघाराम जी महाराजा के पास जाने को तैयार नही थे। प मघाराम जी के कथनानुसार उनको भी चार दिनों बाद छोड दिया गया। मघारामजी के पुत्र राम नारायण शर्मा को कब छोडा गया मुझे पता नही। मुझे भी रघुवर दयाल जी गोयल के छुटकारे एक या दो दिन पहले छोड दिया गया। तब तक मुझे लाईन पुलिस की कोटडी मे रखा गया। रामनाराण तथा मेरे को पुलिस बहुत जुनियर तथा छोटी अवस्था का समझती थी। इसलिए कोई जुम्मेवारी की बात नहीं की।

बाहर आने पर मुझे यह मालूम पडा कि हमारे सारे बुजुर्ग नेता रिहा कर दिए गए हैं। उनसे सुना गया कि महाराजा ने कहा कि उनके शासन सचालन को देखे तथा उनको कहा कि राजनीति मे फिलहाल भाग न ले। इस प्रकार एक बार कुछ समय के लिए राजनैतिक सरगर्मी शात रही।

राजा के परिवर्तने के साथ ही उसके प्रधान मत्री व केबिनेट मत्री का भी परिवर्तन हो गया।। मान्धाता सिंह को स्तीफा देना पडा तथा उनके स्थान में नारायण सिंह जी व प्रतापसिंह जी की बोलबाला रहने लगी। रेजगी काण्ड की सुरूआत यहीं से होती है।

रेजगी काण्ड - यह काड एक अन्तर्महल की कलह है जो कि प्रगट रूप में नाचने लगी।

मघाराम जी रि० होकर माजी साहब के बास मे जहा वे पहले से वैद्यगी कर रहे थे अपनी दुकान खोल ली। माजी साहब का बास कचहरी के पास है तथा एक नाला बहता है। मघाराम जी की दुकान उस नाले के बाए तरफ थी। उसके आस-पास गोवरधनलाल ज डी आई जी का मकान था। इसकी शुरूआत इस तरह है -

उस समय रेजगी का मिलना बहुत कठिन था। एक रूपया में चार आना से छ आना तक बटटा लना आरभ था। इस कठिनाई को राकने क लिए उस समय के अर्थ और गृहमत्री नारायणसिंह जी कुछ सेठो की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी समय रूपया गबन किया हुआ बताया गया था और उनको देश निकाला हुआ था। यह बडे पद पर रहने योग्य नहीं। पुलिस की निगाह में पर्चा बम्बई से छप कर आय था तथा उनको भूतपूर्व पधानमत्र मान्धातासिंह जी पर शक था। पुलिस यह छानबीन कर रही थी कि पर्चा किसने छपवाया वा कौन बम्बई गया।

पुलिस के दो ग्रुप काम करने लगे। यहा पर ग्रुप जिसका सचालन ठाकुर जसवन्त सिंह जी कर रहे थे और दूसरे ग्रुप का सचालन गोवरधनलाल जी। ठाकुर साहब ने गोपाल लाल जी दम्माणी को पकडा। श्री गोपालाल दम्माणी के पिता व ठाकुर साहब के पिता घनिष्ठ मित्र थे। उनके पिता गिरधरलाल जी दम्माणी उन दिनों मे बडे रईस व बडे घरानों में से थे। ठाकुर साहब की कोठी में उन दोनों बुजुर्गों का एक साथ फोटो लगा हुआ था। ठाकुर साहब ने गोपाललाल जी दम्माणी से घनिष्ठता करनी शुरू की। ठाकुर साहब की कोठी में दम्माणीजी का जाना आना शुरू हुआ। ठाकुर साहब दम्माणीजी से पर्चे के विषय में छानबीन करना चाहते थे। मघाराम जी को गोपाल दम्माणी पर शक हुआ और वे आपस मे एक दूसरे के विरोधी हो गए। एक दिन ठाकुर साहब की कोठी मे सध्या समय दम्माणी मेरे को ले गया। मेरा परिचय ठाकुर साहब अच्छीतरह जानते थे। दम्माणी ने कहा कि वैद्यजी मेरे को इस मामले मे फसा रहे हैं। मैं ठाकुर साहब की इच्छा समझ गया। दोनों नेताओं में भरपूर फूट पड गयी। जसवन्तसिंह जी ने मेरे से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि मैं गोवरधन लाल जी पार्टी वालों का जाच का विषय था। माजी साहब के मोहल्ले मे भाणिया प्रोहित की एक दुकान थी। पर्चे उसी दुकान से बरामद हुए थे। भाणिया से पुलिस ने यह कहा कि पर्चे मघाराम जी ने उसको दिए थे। पुलिस गोपाल दम्माणी से भी यह कहलवाना चाहती थी।

मैं ज्योंही ठाकुर साहब के बगले से निकला मैंने दम्माणी से कहा कि वह फस गया है। दम्माणी ने कहा कि वैद्यजी उसको फसाना चाहते हैं। दोनों में खूब अनबन चली।

इधर पुलिस चौकसी मेरे पर भी बढ गयी। श्री लक्ष्मीनारायण के आधीन पुलिस की दुकड़ी फिर से घर के बाहर बैठायी गई। फिर वही शिंकजा कसा जाने लगा। वैद्यजी को मेरे पर भी शक हुआ। राजनीति में जब साथी को मुखबिर समझ लिया जाता है तो चलते आन्दोलन मे विकट समस्या खडी होती है। मुझे भी कोटवाली बार-बार बुलाया जाने लगा। मैं भी तग था। माजी साहब डेरे पर वैद्यजी दुकान के पास में खडा था कि मुझे गोवरधनलाल जी आते हुए दिखाई दिए। मैंनें उनसे कहा कि आप मुझे नाजायत तग कर रहे हैं अच्छा हो कि आप मुझे गिरफ्तार कर ले। मेरे घर वाले मुझ से परेशान है। गोवरधनलाल जी ने पूछा कि आप इस विषय मे कुछ जानते हैं। मैंने बिल्कुल ना में उतर दिया। गोवरघनलाल जी ने कुछ प्रश्नों के साथ वहा चल दिए। वैद्यजी यह देख रहे थे। वैद्यजी को भी मेरे पर शक हुआ और मैंने कुछ समय के लिए वैद्यजी का साथ छोडना उचित समझा।

भाणिया प्रोहित से सुगबुगाहट पाकर वैद्यजी को गिरफ्तार करने की गोवरधनलाल जी ने सोची। लक्ष्मीनारायण पेन्टर अशक की सलाह से वैद्यजी स्टेशन की तरफ चले गए क्योंकि ठाकूर जसवन्तसिंह शीशराम व जगदीशप्रसाद वैद्यजी की तलाश में थे। उधर रामनारायण व स्वामी जी कोतवाली पहुचे। रामनारायण को तो कोतवाली में बैठा लिया गया और मघाराम जी को स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया

उधर श्री दम्माणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को अलग-अलग शिंकजा पर चढाया गया।

शिंकजा - मीरसाहब थानेदार ने एक पलग मगवाया तथा दो हाथ पीछे के पैर चौडा करके पायों से बधवा दिया। सिपाहियों के साफे से पलग और गर्दन में डालकर महान कष्ट पहुचाया गया।

उधर गोपाल दम्माणी ने इतना जरुर कहा था कि वैद्यजी बम्बई गए थे। मीर साहब शीशराम कुन्दनलाल इन्होंने दोनों को भरपूर कष्ट दिया।

भीतर जाकर दोनो की आखे खुली। दोनो फिर वहा एक राय हो गए। दम्माणी की तरफ से श्रीगोपाल जी राठी ने हेबियस कारपास के आधीन हाई कोर्ट में अर्जी दी और गोपालजी जी दम्माणी को छोड दिया। उधर मघारामजी के पुत्र रामनारायण ने भी अर्जी दे रखी थी। गोवरधनलाल जी व ठाकुर जसवन्तसिंह ने वैद्यजी को एक लॉरी मे बैठाकर रात को। बजे घर के पास छोड गए।

दूसरे दिन अपनी डाक्टरी परीक्षा कराने के बाद वैद्यजी रघुवरदयाल जी गोयल के पास पहुँचे। श्रीगोपाल दम्माणी ने भी जुर्म ३३९ ता हा में मुकदमा दायर कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत मे तीसरी पेशी होने पर जगदीश प्रसाद शीशराम, कुन्दनमल और मीर साहब से पाचश्सौ रूपये प्रत्येककी जमा ात मागी। नृसिंहदास जी डागा ने उन पुलिस अफसरों की जमानत दी। पुलिस के जनरल इन्सपेक्टर की चेष्टा से उन पुलिस ऑफिसरों को बरी कर दिया गया। अभिलेखागार में रेजगारी के कोर्ट के कागजातों की पूरी खोज की गई परन्तु कोई भी रेकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हुए इसलिए प्रमाण देने में असमर्थ है श्रीगोपाल राठी से पूछताछ की गई कि हेबियस कारपस की नकल प्राप्त हो सके परन्तु उसके पास उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं है।

यहा एक बात स्पष्ट होती है कि मघारामजी व दम्माणी जी दोनो के बीच में पर्चे छपवाने की कुछ बात मालूम थी। पुलिस को यह शक था कि दोनो कार्य में लिप्त है तथा यह कार्य पूर्व प्रधानमत्री मान्धातासिंह जी द्वारा कराया गया है। शासन के परिवर्तन के साथ-साथ ऑफिसरो की रूख मे भी परिवर्तन हो जाता है। यह कुर्सी का नियम है। जो कर्मचारी कल तक मान्धाता सिंह जी हुकूमत रहते थे आज वह कुर्सी के साथ बदल गए और उसी व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहते हैं।

'बीकानेर का राजनैतिक विकास और मघाराम नामक पुस्तक पृ सख्या १४२ दूसरे पहरे के अन्तिम कडियों में दम्माणीजी ा यह कहना कि 'मघाराम जी बम्बई ग ये यह पूरा पुलिस की जाच का मामला तैयार करता है तथा पडित जी का भी कुछ अनर्गल ात दोनों पर शक कायम करता है। बात को उगलवाने के लिए जो कुछ भी तरीका अपनाया जाय पुलिस को क्षम्य है। वर्तमान में भी ही दर्रा चलता है।

इस रेजगी काण्ड का राजनैतिक आन्दोलन से कोई मतलब नहीं। यह एक महलों की अन्तकर्लह है जिसमें यह दोनों नेता ा लिप्त होना पुलिस द्वारा दर्शाया गया है। दोनो आपस मे उलफ कर इसमें फसे हैं और अथक' साहब भेदिया के रूप में मुख्य ाथ दर्शाता है।

वैद्यजी मारवाडी रिलिफ सोसाईटी में रसायन शाला के प्रमुख व्यक्ति की हैसियत से नौकर थे। उनको रसायनिक प्रक्रिया का पूरा ज्ञान था। मैं वैद्यजी को अच्छी तरह जानता था। वैद्यजी ने तीन व्यक्तियों को विभिन्न रूप से दण्ड दे ने का जाल रचा। मैंने वैद्यजी से अलग रहना शुरू कर दिया। वैद्यजी मेरे को सध्या समय रोज आधा सेर गर्म दूध पिलाते थे। मैंने कुछ काल के लिए उनके साथ दूध पीना

बन्द कर दिया। जब वैद्यजी को यह पूरा विश्वास हो गया कि मैं इस वैद्यजी को फसाने के षडयत्र से बिल्कुल दूर हूँ तब फिर साथ रहना शुरू कर दिया तथा साथसाथ खाने पीने लगे।

पेन्टर अथक' को मघाराम जी ने पान मे रसायन डालकर श्रीराम जी आचार्य के द्वारा रतन बिहारी के पार्क में खिलाया गया जिसमें कि वह पागल हो गए तथा आगे कुछ भेद खोलने मे असमर्थ हो गए। ठाकुर जसवन्तसिंह जी ठाकुरदास स्वामी जो कि उस समय हैड कास्टेबल सी आई डी ता अथक साहब की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया तथा उनके जरिए देखरेख का हिसाब लगाया तथा उनकी पूर्ति भी की जाती थी। ठाकुरदास जी कई महीनों तक उनकी देखरेख करते रहे।

शकरलाल जो कि मेरे घर के सामने इक्के घोडे रखता था पुलिस की टुकडी उसके स्थान में पडाव डालकर रहती थी। उसको हम लोग 'शकरिया जटाधारी कहते थे। उसके जरित्र मे थोडी हलचल थी।

ठाकुर जसवन्तसिह जी बदली हो गई थी तथा ठाकुर रामसिह जी उस स्थान पर एस पी नियुक्त हुए थे। शकर को एक सोने के जेवर जबरन उतारने मे जुर्म मे फसाकर केस दयार करवाया गया तथा कोतवाली मे उसकी खूब पूजा हुई और बरामदगी के साथ केस चलवाया गया।

नरसिहदास जी डागा कद छोटा तथा बड़े होसियार व्यक्ति थे। मघाराम जी के तानेबाने मे वह नहीं फसे। यह डागाजी हम लोगों के पुलिस ऑफिसरो के मुखबिर थे जिसका जिक्र आगे किया जा चुका है। इस तरह इस काण्ड अन्त हुआ।

पुलिस की पूरी निगरानी जो कुछ कॉल के लिए स्थगित थी फिर से शुरू हो गई तथा हम लोगों के घर के सामने टुकडी बैठा दी गई। लक्ष्मीनारायण जी की निगरानी में दीदार बक्स नामक एक हवलदार कुछ सिपाही के साथ नियुक्त किया गया। दीदार पता नहीं था कि हम कहा जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। उस समय हम लोग धूल मे लठ मार रहे थे और यह कोई उम्मीद नहीं थी कि एक दिन राजाओं को राज्य से हाथ धोना पडेगा।

मेरे को विद्या अध्ययन की बड़ा बाधा थी। पुलिस वर्दीधारी हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैंने इस कारण मुझे कोई भी सस्थान में घुसने की इजाजत नहीं देता था। सब कोई राज्य द्रोही समझते थे। मैं गगा सस्कृत पाठशाला जो कि रत्तानी व्यासो के चौक में थी और जिसका प्रधानाध्यापक श्री मालीराम जी शास्त्री थे एक दिन गया व उनसे सस्कृत अध्ययन की प्रार्थना की। मालीराम जी सारी स्थिति को भाप गए। उनहोने मेरा नाम प्रथमा में लिख लिया। मुझे सस्कुत व्याकरण पढाने लगे। बाहर पुलिस की टुकडी तैनात रहती थी। प्रमुख रूप से साहुकार व्यास कन्स्टबल व हैड कास्टेबल तैनात रहते थे। प्रधानाध्याक जी तुरन्त पाठशाला से चले जाने को कहते थे। जाच में वे कहते थे कि मैं पढाकर तुरन्त भेज देता हूँ। मैंने प्रथमा सस्कुत पाठशाला से १९४४ मं पास की।

अब मैं मेरे परिवार के बारे मे लिखना उचित समझता हूँ। मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते थे। १९४३ के अन्त मे वे बीकानेर आए हुए थे। उनको यह मालुम पडा कि मेरी मा ने हीरों के खानदानी जेवरात मेरे मझले भाई आशाराम को पहनने के लिए दिए और वह उनको हडप कर गया। जो जेवराज उसको पहनने के लिए उसकी लिस्ट निम्न प्रकार से हैं -

लिस्ट मेरे मा के हाथों से लिखी हुई महाजनी अक्षरों में है -

श्री गणेशजी

।।विगत इण भात आसाराम ने पेरणने सारू जिन्स दीनी पटो एक हीरा पन्ना में जडियोडो बटन हीरो रा नग ४ गले री माणक री बड़ी घड़ी जेवरी हीरा माणक की बडी चैन हीरा माणक री बडी घडी-२ चैन एक सोने री भरी ५ सिर बटन-२ घडी-१ हीरों री हाथ री पर खरजर इत्यादिय द बाई जाना।

अध्ययनार्थ महायनी अक्षरों मे लिख हुई दस्तखत समेत लिखावट पेश है।

मेरे पिता को जब इन जेवरातो के विषय मे मा ने उनको कहा तो वे आशाराम से मागने लगे। आशाराम ने बाप का सामना किया। उनको हृदय का दौरा पड गया। कुछ समय पश्चात् वे बीमार अवस्था मे झरिया लौट गए। बहुत दिनो तक बीमार रहने के पश्चात् नवम्बर १९४४ मे मृत्यु हो गई।

मैं प्रथमा की परीक्षा देकर झरिया उनके पास चला गया। पिताजी की मृत्यु के पश्चात् मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी। [illegible] राज्य से दूसरी तरफ परिवार से भयकर त्रसित हुआ।

प्यादे ते फर्जी भयो –

कोटा से १२ अगस्त १९४४ के अक मे एक उपरोक्त सवाद प्रकाशित हुआ। इस सवाद से महाराजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने अगस्त १९४४ को श्री गोयल जी को गिरफ्तारी की आज्ञा दे दी। उनके साथी श्री गगादास जी कौशिक व दाऊ दयाल जी आचार्य भी नजरबद किया। रघुवरदयाल जी को लूणकरणसर तथा श्री कौशिक जी व दाऊजी को अनूपगढ किले मे नजरबद रखा।

इनकी गिरफ्तारी के पहले दिन खादी मदिर मे बैठ-बैठ कुछ श्री कौशिक जी व वैद्यजी मे बातों की नोक-झोक हो गई। कौशिक के मुह से निकल गया कि महाराजा ने श्री गोयल जी कौशिक जी व दाऊजी को छोडकर अन्य नेताओं को 'हुल्लडबाज" की सज्ञा है। वैद्यजी के कथनानुसार जनता के धन से खादी मदिर की स्थापना हुई है और कौशिक जी उसमे नौकर थे। वैद्यजी को यह बात [illegible] खटकी और आपस मे मनोमिटाव हो गया। "प्यादे ते फर्जी भयो" मे होम मिनिस्टर साहब व उसके सलाहकार जो कि परिषद् के [illegible] मांगे हुए नेता थे, नियुक्ति की खबर दी। महाराजा साहब को यह अखबारी आलोचना अच्छी नहीं लगी। परिणामस्वरूप तनाव हो [illegible]। श्री गोयल जी व वैद्यजी दोनो के रास्ते अलग-अलग थे। वैद्यजी जयनारायण व्यास के अनुयायी थे तो गोयल जी हीरालाल शास्त्री [illegible] परत जेलमें बैठे-बैठे गोयल जी को सगठन की बात याद आयी और वैद्यजी को कहलाथा तो वैद्यजी ने चुटकी ली कि "हुल्लड़बातों" आन्दोलन का भार कैसा सौंपा जा रहा है। "इससे साफ जाहिर होता है कि महाराजा साहब से मिल्लत व अनबन गोयल जी से कैसे [illegible] भीतरी कारण अज्ञात है। एक तरफ महाराजा साहब गोयल जी की प्रशसा करते हैं तो थोडे ही समय पश्चात् ही उनको गिरफ्तारी हुक्म देते हैं। अभिलेखागार में कारणों का कोई रिकार्ड नहीं है। गोयल जी को अपने पर पडने पर वैद्यजी को सगठन के लिए कहला [illegible] नेतृत्व का भार वैद्यजी पर छोडना समझ में नही आता।

जस्सूसर गेट के बाहर गबोलाई तलाई पर २६ जनवरी १९४५ को प्रजा परिषद की स्थपना गुप्त रूप से की गई व वैदयजी के [illegible] पर इसका भार डाला गया। वैद्यजी ने गुप्त रूप से सदस्य बनाना आरभ कर दिया। प्रजा परिषद् सगठन पूर्व म गैर कानूनी घोषित चुका था। वैद्यजी ने इस सगठन को बडी कुशलता से करना शुरू किया। गोयल जी व कौशिक जी क रिहाई की आवाज उठाई [illegible]ने लगी।

दाऊजी आचार्य अनूबगढ किले मे मलेरिया से ग्रसित हो गए। उनकी वहा हालत खराब हो गई तथा उनको वहा स पी बी एम [illegible]स्पिटल म लाया गया तथा कुछ शतो के साथ रिहा कर दिया गया। दाऊजी के कथनामुसार माफी भी हो सकती है।

दाऊजी आचाय एक निर्भीक योद्धा है। बहुत स्पष्टवादी ऊच्च विचार के हैं। उन पर क्या घटना घटी तथा एक मात्र "उर्जानवीनी" करके [illegible]रिवार का पालन पोषण करने वाला था। वृद्ध माता का भार भी उन्हीं पर था। उनके परिवार पर उस वक्त क्या घटी साधारण मनुष्य [illegible] समझ के बाहर है तथा मेरी समझ मे उन्होने किसी से भी कोई तरह की सहायता नहीं ली।